61

अमर उजाला 7/6/2024

बॉडीगार्ड मलिनबस्ती का अतिक्रमण हटाने के लिए निगम ने मांगा पुलिस बल

संवाद न्यूज एजेंसी

देहरादून। नगर निगम ने अतिक्रमण हटाने के लिए फिर से कागजी कवायद शुरू कर दी है। एनजीटी के आदेश पर 30 जून तक अतिक्रमण हटाया जाना है। निगम ने बॉडीगार्ड इलाके से अतिक्रमण हटाए जाने के लिए पुलिस फोर्स की मांग की है। फोर्स मिलते ही नगर निगम अतिक्रमण पर बुलडोजर चलाएगा। वृहस्पतिवार को इसकी तैयारियों को लेकर कार्ययोजना पर चर्चा हुई।

एनजीटी के आदेश पर निगम ने रिस्पना किनारे सर्वे किया था। सर्वे में निगम ने ऐसे अतिक्रमण को चिह्नित किया था जो मार्च 2016 के बाद हुए थे। निगम ने 27 बस्तियों में 524 अतिक्रमण चिह्नित किए थे। इनमें 89 अतिक्रमण नगर निगम की संपत्ति और बाकी एमडीडीए और नगर पालिका मसूरी क्षेत्र में थे।

एनजीटी के आदेश पर नगर निगम को 30 जून तक हटाना है चिह्नित अतिक्रमण

20 अतिक्रमण नहीं हटा पाया था नगर निगम

सर्वे के बाद नगर निगम ने कब्जाधारकों से जमीन के 2016 से पहले के दस्तावेज मांगे थे। अधिकतर लोग वैध दस्तावेज नहीं दे सके थे। नगर निगम ने 54 अतिक्रमण विगत दिनों हटा दिए। मसूरी विधानसभा क्षेत्र के जाखन के बॉडीगार्ड इलाके में 20 अतिक्रमण को नगर निगम नहीं हटा सका। लोगों ने अतिक्रमण को मार्च 2016 से पहले का बताते हुए दस्तावेज जमा किए। जिनकी जांच के बाद 10 अतिक्रमण कार्रवाई की जद से बाहर हो गए।

> एनजीटी के आदेश पर अतिक्रमण के खिलाफ नगर निगम की कार्रवाई जारी है। जो 10 अतिक्रमण बच गए हैं उनको हटाने के लिए पुलिस फोर्स मांगी गई है। फोर्स मिलने के बाद अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू की जाएगी। - गौरव कुमार, नगर आयुक्त

बाकी 10 अतिक्रमण को हटाने के लिए नगर निगम ने लोकसभा चुनाव की मतगणना पूरी होने के बाद फिर से कवायद शुरू कर दी है। एनजीटी के आदेश के तहत 30 जून तक हर हाल में अतिक्रमण हटाया जाना है। इसके लिए निगम ने पुलिस से फोर्स मांगी है।

62

हिन्दुस्तान 31/5/2024

देहरादून में विभिन्न संगठनों ने किया प्रदर्शन, प्रभावितों के साथ राजनीतिक दल भी हुए शामिल, सचिवालय किया कूच

अतिक्रमण तोड़ने के विरोध में सड़कों पर उतरे संगठन

नाराजगी

देहरादून, वरिष्ठ संवाददाता। जन संगठनों और राजनीतिक दलों ने बस्तियों में अतिक्रमण तोड़ने के विरोध में प्रभावितों संग गुरुवार को दून में जन आक्रोश रैली निकली। प्रभावितों ने जन संगठनों के साथ सचिवालय कूंच किया। बस्तियों का स्थायी हल नहीं निकालने पर व्यापक आंदोलन की चेतावनी दी।

प्रांतीय सचिव सीटू लेखराज, सीपीएम सचिव अनंत आकाश, सीपीएम के जिला सचिव राजेन्द्र पुरोहित, चेतना आंदोलन सह संयोजक शंकर गोपाल के नेतृत्व में दून में बस्तियों के ध्वस्तीकरण और लोगों को बेघर करने के खिलाफ जन आक्रोश रैली राजपुर रोड, एस्लेहॉल से सचिवालय को निकाली गई। प्रदर्शनकारियों ने तिलाड़ी विद्रोह की याद में किसान दिवस और सीआईटीयू के स्थापना दिवस पर किए प्रदर्शन में बस्तियों में चल रहे ध्वस्तीकरण अभियान को जन विरोधी करार दिया। वक्ताओं ने कहा कि बिना पुनर्वास के किसी को भी बेघर न किया जाए। सचिवालय के बाहर मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन अपर तहसीलदार को सौंपा। इससे पहले गांधी पार्क में हुई सभा में वक्ताओं ने कहा कि एनजीटी के आदेश के बारे में गलत धारणा फैलाकर प्रशासन की टीम लोगों को बेदखल कर रही है। उन्होंने दिल्ली सरकार की पुनर्वास नीति राज्य में भी लागू करने की मांग की।

दून में गुरुवार को अतिक्रमण तोड़ने के खिलाफ संगठनों से जुड़े लोगों ने आक्रोश रैली निकाली। • हिन्दुस्तान

देहरादून में गुरुवार को ध्वस्तीकरण के विरोध में डीएम कार्यालय के लिए कूच करते कांग्रेसी। • हिन्दुस्तान

प्रदर्शन में ये संगठन हुए शामिल

सीआईटीयू, एटक चेतना आन्दोलन, इन्टक, सीपीआई (एम), सीपीआई, सपा, आरयूपी, बसपा, कांग्रेस, महिला मंच, महिला समिति, एसएफआई, एआईएलयू, उत्तराखंड आन्दोलनकारी परिषद, किसान सभा, सर्वोदय मंडल।

ये रहे मौजूद

किसान सभा के राज्य अध्यक्ष सुरेंद्र सिंह सजवाण, महामंत्री गंगाधर नौटियाल, सपा राष्ट्रीय सचिव डॉ. एसएन सचान, सर्वोदय मंडल से हरबीर सिंह कुशवाह, सीपीएम राज्य सचिव राजेंद्र नेगी, इंटक प्रदेश अध्यक्ष हीरा सिंह बिष्ट, कांग्रेस राज्य प्रवक्ता शीशपाल बिष्ट, एटक राज्य महामंत्री अशोक शर्मा, उत्तराखंड महिला मंच की कमला पंत, आरयूपी के नवनीत गुसाईं, उत्तराखंड आंदोलनकारी संयुक्त परिषद प्रवक्ता चिंतन सकलानी, एसएफआई प्रांतीय महामंत्री हिमांशु चौहान, अध्यक्ष नितिन मलेठा, बसपा के दिग्विजय सिंह, सीटू अध्यक्ष कृष्ण गुनियाल, रामसिंह भंडारी, एसएस नेगी, चेतना आन्दोलन के विनोद बडोनी, संजय सैनी, महिला समिति की बिंदा मिश्रा समेत कई लोग मौजूद रहे।

कांग्रेसियों का डीएम दफ्तर पर प्रदर्शन

देहरादून, मुख्य संवाददाता। दून में बस्तीवालों को जारी ध्वस्तीकरण के नोटिस निरस्त करवाने कांग्रेसी गुरुवार को डीएम कार्यालय पहुंचे। यहां विरोध-प्रदर्शन के दौरान उन्होंने डीएम के जरिये राज्यपाल को ज्ञापन भिजवाया।

गुरुवार को पूर्व विधायक राजकुमार के नेतृत्व में कांग्रेसियों के साथ ही प्रभावित लोग नगर निगम परिसर में एकत्रित हुए। यहां से उन्होंने डीएम कार्यालय तक जुलूस निकाला। डीएम कार्यालय के बाहर भी प्रदर्शनकारियों ने नारेबाजी की और प्रशासनिक अधिकारी को राज्यपाल के नाम संबोधित ज्ञापन सौंपा। इस मौके पर पूर्व विधायक राजकुमार ने कहा कि बस्ती में रहने वालों के घर डरा-धमकाकर तोड़े जा रहे हैं। इस दौरान महानगर कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष लालचंद शर्मा, निवर्तमान पार्षद निखिल कुमार, सोमप्रकाश वाल्मीकि, अर्जुन सोनकर, उर्मिला थापा, मालती सिंह, प्रकाश नेगी, दीप चौहान, जैनंं खान, कुलदीप आदि मौजूद रहे

सरकारी पैसे से विकास कराया, अब बस्तियां अवैध कैसे?

राजकुमार ने कहा कि बस्तियो मे सासद-विधायक निधि से लेकर हर विभाग ने विकास कार्य करवाए। ऐसे अब बस्तियों को कैसे अवैध ठहरा दिया जा रहा है? उन्होंने 2016 मे तय नीति के अनुसार बस्तीवालो के लिए मालिकाना हक भी मांगा। कांग्रेस प्रदेश महासचिव गोदावरी थापली ने नगर निगम और एमडीडीए की ओर से जारी नोटिसो की दोबारा जांच की मांग दोहराई।

63

दैनिक जागरण 31/5/2024

अवैध निर्माण के ध्वस्तीकरण पर फिलहाल ब्रेक

राजनीतिक दबाव में रोकी कार्रवाई, दस्तावेजों की फिर से जांच

जागरण संवाददाता, देहरादून: रिस्पना किनारे वर्ष 2016 के बाद किए गए अवैध निर्माण को ध्वस्त करने की कार्रवाई पर फिलहाल ब्रेक लग गया है। रायपुर रोड और धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र में अतिक्रमण ध्वस्त करने के बाद मसूरी विधानसभा क्षेत्र में चिह्नित अवैध निर्माण को हटाने से पहले ही राजनीतिक दबाव के कारण कार्रवाई रोक दी गई और चिह्नित निर्माण को लेकर आ रही आपत्तियों पर दोबारा दस्तावेज जांचे गए। जिसमें करीब आधे निर्माण सही पाने पर उन्हें सूची से हटा दिया गया और शेष पर कार्रवाई होनी थी। गुरुवार को नगर निगम ने पुलिस बल उपलब्ध न होने के कारण कार्रवाई नहीं हो पाई। शुक्रवार को भी पुलिस की उपलब्धता पर ही ध्वस्तीकरण की कार्रवाई निर्भर करेगी।

- एनजीटी के निर्देश पर रिस्पना किनारे 2016 के बाद किए गए निर्माण का किया था सर्वे

एमडीडीए कार्यालय पहुंचे रहे बस्तीवासी, जांच जारी

एमडीडीए की ओर से रिवर फ्रंट की जमीनों पर किए गए कब्जों को लेकर नोटिस तो भेज दिए गए हैं। लेकिन, अभी हटाने की कार्रवाई नहीं की गई। पहले नोटिस के जवाब में प्राप्त हो रही आपत्तियों की जांच की जा रही है और दस्तावेजों का परीक्षण किया जा रहा है। इन दिनों एमडीडीए कार्यालय में संबंधित लोग पहुंच रहे हैं। एमडीडीए की ओर से पहले 29 मई तक दस्तावेज जांचे जाने थे, लेकिन अब तीन का समय और दिया जा रहा है।

एनजीटी के निर्देश पर रिस्पना किनारे वर्ष 2016 के बाद किए गए निर्माण का सर्वे किया गया। जिसमें कुल 524 अतिक्रमण पाए गए। 89 अतिक्रमण नगर निगम की भूमि पर, जबकि 12 नगर पालिका मसूरी और 11 राजस्व भूमि पर थे। दूसरी तरफ नगर निगम के नियंत्रण में रिवर फ्रंट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए जिस भूमि को एमडीडीए के नियंत्रण में दिया गया था, उस पर 414 से अधिक अतिक्रमण होने की बात सामने आई। नगर निगम ने आपत्तियों की सुनवाई के बाद 74 अतिक्रमण की अंतिम सूची तैयार की। इसके बाद अब यह सूची कुल 64 निर्माण की रह गई है। जिसमें चूना भट्ठा से बलबीर रोड बस्ती तक 46 निर्माण ध्वस्त किए गए और दीपनगर बस्ती में आठ मकान जमींदोज हुए। बार्डीगाड बस्ती में चिह्नित 20 अवैध निर्माण में से अब 10 निर्माण की कार्रवाई की जद में रह गए हैं।

अब बुधवार को मसूरी विधानसभा क्षेत्र के तहत कैनाल रोड से सटी बार्डीगाड बस्ती में कार्रवाई प्रस्तावित थी। लेकिन, मंगलवार शाम से ही निगम के अधिकारियों को क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि के फोन आने लगे और कार्रवाई न करने का दबाव बनाया जाता रहा। इसके बाद बार्डीगाड बस्ती में कार्रवाई की जद में आ रहे कुल 20 निर्माण के दस्तावेजों की दोबारा जांच करने की मांग की गई। बस्तीवासी अपने विभिन्न दस्तावेज लेकर निगम भी पहुंचे। जिस पर नगर निगम के अधिकारियों ने कार्रवाई स्थगित करते हुए दस्तावेज दोबारा जांचे। जिसमें कुल 10 आपत्तियां सही पाई गईं और उनके नाम कार्रवाई की सूची से हटा दिए गए।

अब नगर निगम शुक्रवार को शेष 10 निर्माण को ध्वस्त करने का दावा कर रहा है। लेकिन, शेष 10 अवैध निर्माण हटाने के लिए अब पुलिस बल उपलब्ध नहीं होने की बात कही जा रही है। ऐसे में फिलहाल अवैध निर्माण पर कार्रवाई पर ब्रेक लगता नजर आ रहा है।

नदी किनारे अवैध निर्माण के ध्वस्तीकरण के खिलाफ विपक्षी दलों ने खोला मोर्चा

जागरण संवाददाता, देहरादून: रिस्पना किनारे अवैध निर्माण पर की जा रही ध्वस्तीकरण की कार्रवाई के विरोध में विपक्षी दलों ने मोर्चा खोल दिया है। एक ओर कांग्रेस ने बस्तीवासियों के साथ नगर निगम में प्रदर्शन किया और फिर कलेक्ट्रेट कूच कर विरोध जताया। इसके अलावा वाम दलों समेत कुछ अन्य विपक्षी दलों और संगठनों ने भी गांधी पार्क में सभा करने के बाद सचिवालय के बाहर प्रदर्शन किया। सरकार को घेरते हुए बस्तीवासियों पर की जा रही कार्रवाई रोकने और उनके पुनर्वास की मांग उठाई गई।

गुरुवार को बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बस्तीवासियों के साथ नगर निगम में नारेबाजी और प्रदर्शन किया। यहां से कांग्रेस के झंडों को हाथ में लिए प्रदर्शनकारी कलेक्ट्रेट पहुंचे। नारेबाजी करने के बाद पूर्व विधायक राजकुमार ने दीवार फांदकर एडीएम को ज्ञापन दिया। कहा कि दून में मलिन बस्तियों में अतिक्रमण के नाम से नगर निगम ने कई बस्तीवासियों को नोटिस भेजे हैं। जबकि, मलिन बस्ती के निवासी कई सालों से परिवार समेत वहां बसे हुए हैं। बस्तीवासियों के पास पानी, बिजली के बिल भी हैं। ऐसे में घरों को तोड़ा जाना गलत है। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि सांसद, विधायक, पार्षद, नगर निगम, पीडब्ल्यूडी, विद्युत विभाग, जल संस्थान, जल निगम, सिंचाई विभाग, एमडीडीए के जरिए बस्तियों में विकास के काम किए गए हैं। इन भवनों से हाउस टैक्स लिया गया है। उन्होंने बस्तीवासियों को वर्ष 2016 की नीति के अनुसार मालिकाना हक दिए जाने की मांग की और कहा कि राज्य सरकार को कार्ययोजना तैयार करनी चाहिए। इस अवसर पर महानगर कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष लालचंद शर्मा, प्रदेश महामंत्री गोदावरी थापली, निवर्तमान पार्षद निखिल कुमार, सोमप्रकाश, अर्जुन सोनकर, उर्मिला थापा, मालती सिंह, प्रकाश नेगी आदि उपस्थित रहे।

सचिवालय कूच कर कार्रवाई का विरोध किया : मलिन बस्तियों नगर निगम की ओर से की जा रही कार्रवाई के विरोध में विभिन्न राजनीतिक दलों और सामाजिक संगठनों से जुड़े लोग गुरुवार को गांधी पार्क पहुंचे। जहां से उन्होंने जन आक्रोश रैली निकालकर सचिवालय कूच किया।

64

अमर उजाला my city देहरादून देहरादू

30/5/2024

मलिनबस्ती के लोगों का नगर निगम में हंगामा

पूर्व विधायक और कांग्रेस नेताओं के साथ नगर निगम पहुंचे लोग

संवाद न्यूज एजेंसी

देहरादून। तीसरे पड़ाव में कार्रवाई की जद में आ रहे मलिन बस्तियों के लोगों ने नगर निगम और कलेक्ट्रेट पर जमकर हंगामा किया। कांग्रेस नेताओं ने नेतृत्व में पहुंचे लोगों ने 2016 से पहले के मकान होने के दस्तावेज सौंपे। इस पर निगम ने मामले में निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है।

एनजीटी के आदेश पर निगम अभी तक 54 अतिक्रमण हटा जा चुका है। बुधवार को जाखन बॉडीगार्ड में अभियान चलाया जाना था, लेकिन नगर निगम ने इसे टाल दिया। दोपहर में जाखन बॉडीगार्ड सहित अन्य मलिन बस्ती के लोग कांग्रेस के पूर्व विधायक राजकुमार और कांग्रेस नेता लालचंद शर्मा के नेतृत्व में नगर निगम पहुंचे। लोगों ने वहां पर जमकर हंगामा किया। बस्ती के लोगों ने कहा कि उनके आवास 2016 से पहले बने हैं और इस संबंध में उन्होंने कागजात भी सौंपे, लेकिन निगम उन कागजों को मानने को तैयार नहीं है। पूर्व विधायक राजकुमार ने कहा कि बॉडीगार्ड, काठबंगला बस्ती, चंदर रोड, नेमी रोड, बलबीर रोड़, राजेश रावत कालोनी सहित अन्य कई बस्तियां वर्ष 2016 से पहले बसी हुई हैं।

फिर भी इन्हें नोटिस दिए गए हैं। इनके पास पानी, बिजली के बिल भी हैं। इन्हें हटाया जा रहा है जो गलत है। कांग्रेसियों ने कहा कि सभी बस्तीवासियों को भेजे गए नोटिसों को तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाए। उन्होंने कहा कि सभी बस्तियों को 2016 की नीति के अनुसार मालिकाना हक दिया जाना चाहिए। लोगों ने चेतावनी दी कि जल्द ही कार्यवाही नहीं की गई तो व्यापक स्तर पर आंदोलन किया जाएगा। पूर्व विधायक राजकुमार ने कहा कि कांग्रेस शासनकाल में मलिन बस्तियों के लिए नीति तैयार की गई थी जिसे आज तक लागू नहीं किया गया। उसी नीति के अनुसार मलिन बस्तियों को मालिकाना हक दिया जाए।

मकान तोड़ने के विरोध में नगर निगम में प्रदर्शन करते मलिन बस्ती के लोग। संवाद

एक तरफ लोग बेघर तो दूसरी तरफ बन रहा पार्क

- नगर निगम रिस्पना नदी किनारे करोड़ों रुपये की लागत से पार्क बना रहा है। जिसको लेकर मलिन बस्ती के लोगों ने सवाल उठाए हैं। मंगलवार को नगर निगम ने दीपनगर में रिस्पना नदी के किनारे बसी मलिन बस्ती पर कार्रवाई की। उसी मलिन बस्ती के सामने नदी के दूसरे छोर पर निगम करोड़ों रुपये से पार्क बना रहा है। यह पार्क भी नदी की भूमि पर है। मलिन बस्ती के लोगों का कहना है जो पार्क बड़ी सोसायटी में रहने वालों के घूमने के लिए बनाया जा रहा है। गरीबों के घरों को तोड़कर बेघर किया जा रहा है।

रातभर फोन कर धमकाया तो लोगों ने खाली किए मकान

- महिलाओं ने उप नगर आयुक्त को बताया मंगलवार की रात आठ बजे नगर निगम से लोगों के पास फोन किया गया कि अपने मकान को खाली कर दो। बुधवार को मकानों को तोड़ा जाएगा। इसके बाद रातभर लोग सो नहीं सके और अपने मकानों को खाली किया।

भूमि कब्जा कर बेचने वालों पर मुकदमा दर्ज कराएगा नगर निगम

संवाद न्यूज एजेंसी

देहरादून। रिस्पना किनारे धीरे-धीरे कब्जा कर भूमि को जरूरतमंदों को बेच दिया गया। नगर निगम ने जब मकान तोड़े तो मामला संज्ञान में आया। अब नगर निगम सरकारी जमीन बेचकर लोगों के साथ धोखाधड़ी करने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराएगा।

नगर निगम ने मंगलवार को दीपनगर में आठ मकान तोड़े थे। इन मकानों में रहने वाले लोगों का कहना था कि उन्होंने यह जमीन कुछ लोगों से खरीदी थी। इससे संबंधित नोटरी के कागजात भी लोगों ने नगर निगम की टीम को दिखाए। पता चला कि लोगों ने झुग्गी-झोपड़ी डालकर पहले कब्जा किया। इसके बाद धीरे-धीरे जमीन बेचकर कमाई शुरू कर दी। कब्जा करने वाले लोग तो पैसे बनाकर निकल गए, लेकिन यहां जमीन खरीदकर आवास बनाने वाले लोग फंस गए।

मामला संज्ञान में आने पर अब नगर निगम ने इन भू-माफिया पर कार्रवाई की तैयारी शुरू कर दी है। उप नगर आयुक्त गोपाल राम बिनवाल का कहना है कि सरकारी भूमि को बेचा नहीं जा सकता। ऐसे में लोगों की ओर से दिए गए कागजों के आधार पर धोखाधड़ी करने वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई जाएगी। लोगों का कहना है उनके पास जो सभी दस्तावेज हैं कि उनके मकान 2016 से पहले के हैं और वे इस कार्रवाई की जद में नहीं आते हैं।

मलिन बस्ती के 16 आवासों की होगी दोबारा जांच

मलिन बस्ती तोड़े जाने का मामला मंत्री के दरबार में पहुंच गया। तीसरे चरण में होने वाली कार्रवाई से प्रभावित होने वाले लोगों ने मंत्री को कागजात सौंपे। इसके बाद मंत्री ने सूची तैयार कर निगम को भिजवा दी। निगम अब इन 16 आवासों की दोबारा जांच कर रहा है। नगर आयुक्त ने खुद ही दस्तावेजों का अवलोकन किया। उन्हीं के निर्देशन में जांच की जा रही है। एनजीटी ने 30 जून तक चिह्नित सभी अतिक्रमण हटाने के आदेश दिए हैं। पहले चरण में 35 तो दूसरे चरण में आठ आवास तोड़े गए थे। तीसरे चरण में बुधवार को जाखन क्षेत्र में करीब 20 आवासों पर कार्रवाई की जानी थी, लेकिन लोगों ने सत्तारूढ़ दल के नेताओं के चक्कर लगाने शुरू कर दिए। देर रात मामला ग्राम्य विकास मंत्री के संज्ञान में पहुंचा। मंत्री के समक्ष 16 लोगों ने अपने दस्तावेज रखे। मंत्री गणेश जोशी ने मामले में निगम को दोबारा जांच कर सभी लोगों की सूची बनाकर भेज दी। लोगों ने गैस कनेक्शन, आधार कार्ड आदि दस्तावेज हैं।

> कुछ आपत्तियां मिली है, उनकी गहनता से जांच की जा रही है। नगर निगम लगातार सबको आपत्तियां दर्ज कर सबूत पेश करने का मौका दे रहा है।
>
> – गौरव कुमार, नगर आयुक्त

अमर उजाला 30/5/2024

बृहस्पतिवार • 30.05.2024 03
www.amarujala.com/dehradun

आधी-अधूरी रिपोर्ट ने बढ़ाई बस्ती के लोगों की मुश्किल

देहरादून। नगर निगम ने 525 अतिक्रमण चिह्नित कर रिपोर्ट एनजीटी में सौंपकर अपना पल्ला झाड़ लिया, लेकिन इससे मलिन बस्तियों के लोगों की मुश्किलें बढ़ गईं। दोबारा हुई जांच में कई अतिक्रमण कार्रवाई के दायरे से बाहर हो चुके हैं। इससे साफ है कि मलिन बस्ती में अतिक्रमण चिह्नित करने और उन पर कार्रवाई करने में जल्दबाजी की गई है।

रिस्पना किनारे मलिन बस्तियों के चिह्नीकरण के लिए एनजीटी ने सख्त आदेश दिए थे। मामले में डीएम से लेकर प्रमुख सचिव तक पर एक लाख रुपये का जुर्माना लगा दिया था। निगम ने टीमें बनाकर सर्वे कर 27 बस्तियों में 525 अतिक्रमण चिह्नित कर अपनी रिपोर्ट एनजीटी में सौंप दी। इनमें 89 अतिक्रमण नगर निगम की भूमि पर, 413 एमडीडीए की भूमि पर और करीब 12 मसूरी नगर पालिका क्षेत्र में

89 अतिक्रमण किए गए थे चिह्नित, अब तक जांच में 25 गलत पाए गए

पाए गए थे। निगम ने 89 अतिक्रमण के संबंध में संबंधित लोगों से आपत्तियां मांगी थी। लोगों ने अपने कागजात जमा कराने शुरू किए तो निगम को भी बैकफुट पर आना पड़ा। निगम अपनी ही रिपोर्ट को बदलने के लिए मजबूर हो गया।

पहले 89 अतिक्रमण पर कार्रवाई होनी थी जांच के बाद वह घटकर 74 रह गए। निगम ने 54 अतिक्रमण पर कार्रवाई की। अब इन 20 की दोबारा जांच हुई तो बुधवार रात तक 10 चिह्नित अतिक्रमण कार्रवाई के दायरे से बाहर हो गए। चिह्नित अतिक्रमण 525 हैं। लोगों का कहना है कि सौ से अधिक अतिक्रमण ऐसे हैं जो नगर निगम ने गलत चिह्नित किए हैं। संपद

467

अमर उजाला 29/5/2024

66

आज जाखन में चलेगा बुलडोजर

देहरादून। निगम के अनुसार आज जाखन क्षेत्र में रिस्पना नदी किनारे यह अभियान चलाया जाएगा। जाखन क्षेत्र में 31 मकान चिह्नित किए गए थे, जिनमें से 11 लोगों ने अपने कागजात पेश किए तो जो जांच में सही पाए गए थे, जिसके बाद मात्र 20 मकान अतिक्रमण की जद में रह गए थे। बाद में छह और लोगों ने दस्तावेज पेश किए। इसलिए अब इस क्षेत्र में अब 14 मकान ऐसे है जिनको हटाया जाना है। आज इन पर कार्रवाई की जाएगी। संवाद

अतिक्रमण अभियान पर ड्रोन कैमरे की रही पैनी नजर। संवाद

महिलाओं ने नेताओं पर साधा निशाना

देहरादून। मलिन बस्तियों को बचाने और बसाने की वकालत करने वाले नेता मंगलवार को कहीं नजर नहीं आए। निगम की टीम ने एक-एककर सभी मकानों को ढहा दिया, लेकिन जो लोग इनको बचाने की वकालत करते हैं मौके पर कोई नहीं दिखे। जिन महिलाओं के मकान टूटे उन्होंने भी नेताओं को आड़े हाथों लिया। कहा, नेता वोट मांगने आ जाते हैं, लेकिन उनके टूटते घरों के बचाने कोई नहीं आया। दरअसल, मलिन बस्तियों में रहने वाले लोगों को एक बड़े वोट बैंक के रूप में देखा जाता है। इसीलिए कई नेता इन्हें बचाने की वकालत करते हैं। पिछले कई दिनों से मलिन बस्तियों का मामला चर्चा में है। कई संगठनों ने धरना प्रदर्शन की चेतावनी दी है। नेताओं ने निगम से लेकर शासन तक ज्ञापन भेजा पर कोई असर नहीं हुआ। कोर्ट के आदेश का पालन करते हुए नगर निगम ने कार्रवाई शुरू की तो मलिन बस्तियों को लेकर सड़क पर उतरने वाले नेता भी वहां नजर नहीं आए। बस्ती के लोगों में इसे लेकर आक्रोश दिखाई दिया। संवाद

पत्थरबाजी की कोशिश, पांच लोग हिरासत में लिए

संवाद न्यूज एजेंसी

देहरादून। कार्रवाई करने पहुंची निगम की टीम को बस्ती के लोगों के विरोध का सामना करना पड़ा। महिलाएं मकान में घुस गईं, जिसके बाद महिला पुलिसकर्मियों ने बड़ी मुश्किल मकान से बाहर उनको निकाला तब जाकर निगम की कार्रवाई शुरू हुई। इस दौरान पत्थरबाजी की भी कोशिश हुई। पुलिस ने विरोध करने वाले पांच लोगों को हिरासत में लिया, जिन्हें बाद में छोड़ दिया गया।

मकान तोड़े जाने का बस्ती के लोगों पहले से ही पता था। सुबह जब टीम मौके पर पहुंची तो लोगों ने विरोध शुरू कर दिया। जैसे ही टीम गली में घुसी लोग टीम के सामने आ गए। निगम की टीम ने लोगों को समझाया, लेकिन नहीं माने। तब पुलिस ने बल प्रयोग कर लोगों को हटाना शुरू किया। इसके बाद बुलडोजर आगे बढ़ा। जब बुलडोजर मकानों के पास पहुंचा तो मकान में रह रहे लोगों ने अंदर से दरवाजा बंद कर लिया। निगम की टीम ने पुलिस की मदद से सभी को बाहर निकाला। मौके पर हंगामा करने वाले पांच लोगों को पुलिस टीम ने हिरासत में ले लिया। शाम के समय सभी लोगों को माफी मांगने पर चेतावनी देते हुए छोड़ दिया गया। कार्रवाई के दौरान यदि पुलिस सख्ती नहीं बरतती तो पत्थरबाजी की घटना गंभीर हो सकती थी। उधर, निगम की टीम ने मकानों पर बुलडोजर चलाने से पहले विद्युत केबल हटा दिए थे। ताकि कार्रवाई के दौरान करंट ना लगे।

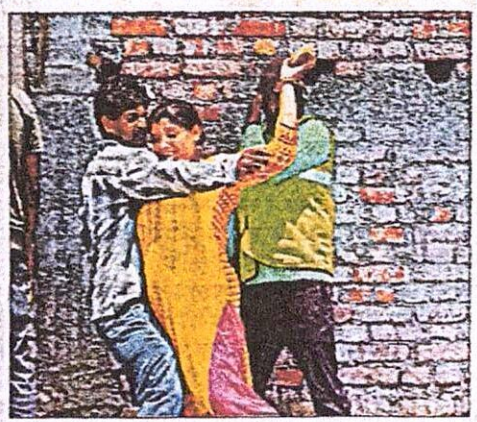

आक्रोश टूट रहे घर को बचाने के लिए महिलाओं के विरोध प्रदर्शन से बात नहीं बनी तो एक महिला पत्थर उठाकर जेसीबी पर फेंकने लगी। वहीं, एक महिला जेसीबी के सामने लेट गई। पुलिस ने दोनों को हिरासत में ले लिया। फोटो : संजय नेगी

चंद घंटों की कार्रवाई में सब कुछ हो गया ध्वस्त

संजय चौहान

देहरादून। नगर निगम का बुलडोजर जिन घरों पर चला, वह सभी मजदूरों के मकान थे। कोई बिहार से आकर यहां बसा था, तो कोई बलिया, गोरखपुर और बिजनौर से। चंद घंटों की कार्रवाई में सब कुछ ध्वस्त हो गया। सुबह 10 बजे तक जहां मकान खड़े थे, दोपहर होते-होते वहां चारों ओर सिर्फ मलबा ही नजर आया।

रीना, नीलम, आरती, सोनू ने बताया कि उन्होंने घर के लिए लोन लिया था। राकेश की पत्नी आरती का कहना है कि उन्होंने बड़ी मुश्किल यह जगह खरीदी थी। सोनू शर्मा का कहना है कि उन्होंने मकान बनाने के लिए 10 लाख रुपये का लोन लिया था। अब उसके पास कुछ नहीं बचा। आठ परिवार मंगलवार सुबह तक मकानों में बैठे थे, लेकिन उसके बाद सड़क पर आ गए। संवाद

खुले में बैठे रहे मासूम

मकानों पर कार्रवाई के दौरान वहां रहने वाले परिवारों को निगम की टीम ने बाहर निकाल दिया था। जिस दौरान ये कार्रवाई हो रही थी, तब पारा 40 डिग्री के पार था। इस दौरान कई बच्चे नदी किनारे धूप में ही बैठे रहे।

खाली नहीं किए थे मकान

नगर निगम ने मकान खाली करने के लिए लोगों नोटिस जारी किए थे। इसके बाद भी लोगों ने मकान खाली नहीं किए। मंगलवार को जब टीम पहुंची तो कई लोग मकान ना खाली करने पर अड़ गए और दरवाजा बंद कर लिया। पुलिस ने किसी तरह दरवाजा खुलवाकर लोगों को बाहर निकाला और सामान निकालकर नदी किनारे रख दिया।

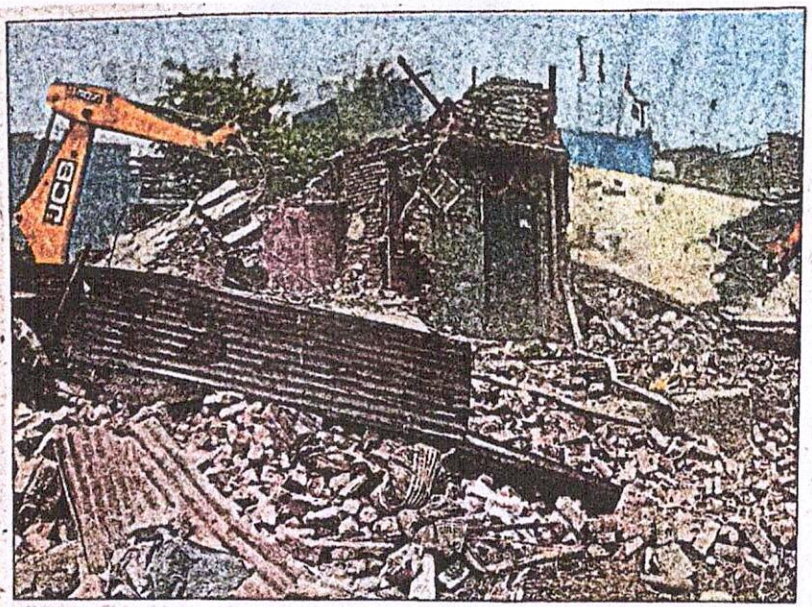

67

हिन्दुस्तान 29/5/2024

देहरादून में मंगलवार को दीपनगर इलाके में रिस्पना के किनारे अतिक्रमण को पूरी तरह ध्वस्त किया गया। ● हिन्दुस्तान

देहरादून में मंगलवार को दीपनगर इलाके में रिस्पना नदी के किनारे से अतिक्रमण हटाने का विरोध कर रहे व्यक्ति को काबू करती पुलिस।

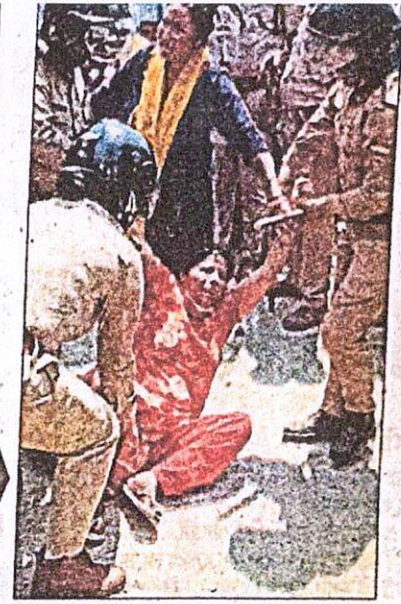

देहरादून में मंगलवार को दीपनगर क्षेत्र में रिस्पना नदी के किनारे अतिक्रमण हटाने का विरोध कर रहे लोगों को पकड़ती पुलिस।

देहरादून में बस्तीवालों के लिए सौ रुपये के स्टांप पेपर पर लिखी शर्तें भी चौंकाने वाली, बेघर लोगों ने सख्त कार्रवाई की मांग उठाई

चार से सात लाख में सरकारी भूमि बेचकर गारंटी भी दे रहे बिचौलिये

देहरादून में मंगलवार को दीपनगर क्षेत्र मे रिस्पना नदी के किनारे अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई से पहले लोगों ने घर का सामान बाहर निकाला। ● हिन्दुस्तान

अजब हाल

महावीर सिंह चौहान

देहरादून। दीपनगर क्षेत्र में जिन लोगों के मकान ध्वस्त हुए हैं, उनको बिचौलियों ने चार से सात लाख रुपये में सरकारी

02 दिन चले अभियान में कई निर्माण ढहाए गए

'बिचौलियों को पकड़कर सबक सिखाना होगा'

पुलिस-प्रशासन की कार्रवाई से

डायट प्रतिनिधि अनूप कुमार थपलियाल ने कहा कि अभिभावकों का दायित्व है कि छह साल की उम्र पूरी कर चुके बच्चे का स्कूल में नामांकन कराए। शिक्षक बलवंत सिंह रावत, सतीश चंद्र नौटियाल, सुभाष डबराल भी मौजूद रहे।

अग्निशमन

3	कुल आय	1,18,740.75	1,16,386.37	1,00,428.31	4,43,465.62	3,66,190.34	1,18,740.75	1,16,386.37	1,00,428.31	4,43,465.62	3,66,190.34
4	कर एवं अपवादात्मक मदो से पूर्व अवधि के लिए निवल लाभ / (हानि)	37,434.84	42,087.46	34,875.67	1,55,481.40	1,32,680.96	37,410.71	42,087.46	34,875.67	1,55,457.27	1,32,680.96
5	कर पूर्व एवं अपवादात्मक मदों के बाद अवधि के लिए निवल लाभ / (हानि)	38,223.45	40,636.22	37,460.36	1,49,628.37	1,35,400.96	38,199.32	40,636.22	37,460.36	1,49,604.24	1,35,400.96
6	कर पश्चात अवधि के लिए निवल लाभ / (हानि)	28,436.54	29,999.79	27,879.89	1,11,125.79	1,00,588.11	28,418.48	29,999.79	27,879.89	1,11,107.73	1,00,588.11
7	कुल व्यापक आय (लाभ / (हानि) शामिल) (कर पश्चात) और अन्य व्यापक आय [illegible]	28,421.63	29,989.61	27,844.85	1,11,156.49	1,00,809.05	[illegible]	[illegible]	27,844.85	1,11,138.42	1,00,809.05

68

दैनिक जागरण 26/5/2024

कांग्रेस ने एमडीडीए के नोटिस की दोबारा जांच की मांग उठाई

- पूर्व विधायक राजकुमार के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने कैबिनेट मंत्री को सौंपा ज्ञापन
- बोले, 30 से 33 वर्ष पुरानी हैं मलिन बस्तियां, अतिक्रमण मानने का आधार है गलत

जागरण संवाददाता, देहरादून : कांग्रेस ने मलिन बस्तीवासियों को एमडीडीए की ओर से दिए गए नोटिस की दोबारा जांच किए जाने की मांग की है।

पूर्व विधायक राजकुमार के नेतृत्व में पहुंचे प्रतिनिधिमंडल ने कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल से कहा कि अतिक्रमण के नाम से कई मलिन बस्तीवासियों को एमडीडीए की ओर से दिए गए नोटिस की दोबारा जांच कराई जाए। ज्ञापन में कहा गया कि सभी बस्तियां 30 से 33 वर्ष पुरानी हैं। यहां रहने वालों का परिवार बढ़ता गया और उन्होंने अपने पुराने भवनों के बगल में एक कमरा और बना दिया। जिसमें पानी, बिजली के कनेक्शन वर्ष 2016 के बाद लगे। जिसको अतिक्रमण का आधार मान लिया है।

इन बस्तियों में लोक निर्माण विभाग, सिंचाई विभाग, एमडीडीए, विद्युत विभाग, जल निगम, जल संस्थान विकास कार्य कर रहा है और यहां तक कि नगर निगम ने हाउस टैक्स भी लगा रखा है। इन बस्तियों में करोड़ों के काम हुए है। ज्ञापन में कहा गया कि सभी लोग अतिक्रमण के खिलाफ हैं, लेकिन यदि सभी लोगों को मकान बनाने से पहले रोक दिया जाता तो इन लोगों की मेहनत मजदूरी की कमाई पर आज जेसीबी नहीं चलती। प्रतिनिधिमंडल में व्यापार प्रकोष्ठ के अध्यक्ष सुनील कुमार बांगा, प्रदेश महामंत्री गोदावरी थापली, पूर्व महानगर अध्यक्ष लालचंद शर्मा, सोम प्रकाश वाल्मीकि, अर्जुन सोनकर, जहागीर खान, दीप चौहान, निखिल कुमार आदि शामिल रहे।

देहरादून की और भी खबरें पढ़ें
www.jagran.com

69

हिंदुस्तान 29/5/2024

देहरादून स्थित नगर निगम में मंगलवार को विरोध करते काठबंगला तरला के लोग।

कार्रवाई का विरोध बढ़ा, अफसरों के फोन घनघनाए

देहरादून। एनजीटी के आदेश पर नदी किनारे स्थित बस्तियों में अवैध निर्माण पर कार्रवाई के दूसरे दिन अभियान का विरोध हुआ। लोगों की नाराजगी बढ़ने के बाद नेताओं ने प्रशासन और नगर निगम को फोन करने शुरू कर दिए। उनके स्तर से कहा जा रहा कि प्रयास करें कि कम से कम मकान कार्रवाई के दायरे में आएं। दो दिन 58 कच्चे-पक्के अवैध निर्माण ध्वस्त किए गए। जैसे-जैसे अभियान आगे बढ़ रहा है, उसी के साथ बस्तियों में रह रहे हजारों लोगों की नाराजगी बढ़ रही है। बस्ती के लोग आश्वासन देने वाले नेताओं से संपर्क साध रहे हैं।

दस साल की कमाई से बने घर कुछ घंटे में ध्वस्त

दीपनगर में अपनी पीड़ा जाहिर करते हुए एक व्यक्ति ने कहा कि वह और उसके साथ के लोग दस साल पहले कामकाज की तलाश में देहरादून आए थे। मजदूरी कर जैसे-तैसे कुछ पैसे बचाते रहे। उससे जमीन ली और यहां मकान बनाए। लेकिन, मंगलवार को कुछ ही घंटों मकान ध्वस्त हो गए।

एमडीडीए-मसूरी नगर पालिका की भी तैयारी

दून नगर निगम के स्तर से अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई बुधवार को पूरी हो जाएगी। जबकि, इसके बाद एमडीडीए, नगर पालिका मसूरी, जिला प्रशासन के स्तर से कार्रवाई होनी है। विभागों ने अभियान चलाने के लिए एक-दूसरे को पूरा सहयोग करने का आश्वासन दिया है।

सुबह दस बजे गई टीम शाम चार बजे लौट आई

दून में मंगलवार सुबह दस बजे गई टीम शाम चार बजे लौटी। टीम में उप नगर आयुक्त गोपाल राम डिनवाल, एसडीएम सदर हरगिरी, तहसीलदार शादाब, कर अधीक्षक भूमि राहुल कैंथोला और पुलिस फोर्स भी शामिल थी। उधर, लोगों ने पूछा कि जब कोई अवैध निर्माण शुरू होता है तो शुरुआत में ही कार्रवाई क्यों नहीं होती? लोगों ने कहा कि शहर में कई जगह नदी-नालों की जमीनें कब्जाई जा रही हैं। अवैध निर्माण हो रहे हैं। लेकिन वहां सख्त कार्रवाई नहीं होती। एक वरिष्ठ नागरिक ने कहा कि अवैध निर्माण शुरू होते ही कार्रवाई होनी चाहिए।

अब लोन का क्या करेंगे, यहां तो मकान टूट रहा है

एक व्यक्ति को कार्रवाई के बीच किसी बैंक से फोन आया। उससे लोन लेने की बात कही गई। जवाब में उसने कहा कि यहां तो हमारे मकान टूट रहे हैं। ऐसे में लोन लेकर क्या करेंगे। उसने कहा कि लोगों ने सारी कमाई मकान बनाने में खर्च कर दी। अब मुश्किल यह है कि वह आगे कैसे भरपाई करेंगे।

पत्थरबाजी के लिए लोगों को भड़काने का प्रयास

दून में मंगलवार को पुलिस-प्रशासन की कार्रवाई के दौरान एक व्यक्ति ने आसपास खड़े लोगों को पत्थरबाजी करने के लिए उकसाने का प्रयास भी किया। लेकिन, लोगों ने कहा कि बाद में उनको मुकदमे झेलने पड़ेंगे। पुलिस अफसरों ने बस्ती के लोगों को सख्त हिदायत दी कि हंगामा नहीं करें।

अगला अभियान जाखन में, आज टल सकती है कार्रवाई

देहरादून। दीपनगर के बाद अब अगली कार्रवाई जाखन वार्ड स्थित बारीघाट में होनी है। यहां पहले मार्च 2016 के बाद बने 35 अवैध निर्माण चिन्हित हुए थे। दस्तावेजों की जांच के बाद पन्द्रह मकानों को सूची से हटाया गया। मंगलवार को लोगों ने अफसरों से मांग की है कि साक्ष्य उपलब्ध करवाने का मौका दिया जाए। माना जा रहा कि कार्रवाई एक दिन टाली जा सकती है। नगर निगम की प्रशासक और नगर आयुक्त ने कहा कि दस्तावेजों की जांच दोबारा की जा सकती है। लेकिन, एनजीटी के आदेश के मुताबिक ही दून में कार्रवाई की जाएगी।

अमर उजाला 29/5/2024

70

कब्जा कर बेची जमीन, 100 रुपये के स्टांप पर हुई थी नोटरी

संवाद न्यूज एजेंसी

देहरादून। दीपनगर में जिन मकानों पर कार्रवाई की गई उनकी जमीनों की लिखापढ़ी 100 रुपये के स्टांप पर की गई थी। इन्हीं स्टांप पर नोटरी कराई गई थी। मंगलवार को मकान तोड़ने गई निगम की टीम के सामने इन कागजातों को रखा गया, जो किसी काम नहीं आए।

पहला मकान दयाल ठाकुर का तोड़ा गया। दयाल ठाकुर ने आरोप लगाते हुए कहा कि उन्होंने यह मकान कृपाल सिंह उर्फ वीरू, मुकेश कुमार और संजय कुमार से पत्नी गंगा के नाम नौ जनवरी 2023 को लिया था।

दोनों पक्षों के बीच करीब चार लाख रुपये में सौदा हुआ था। अन्य मकान मालिकों ने भी इसी तरह मकान खरीदे और मात्र सौ रुपये के स्टांप पर नोटरी को हीं इस संपत्ति के खरीद-फरोख्त का आधार बनाया गया।

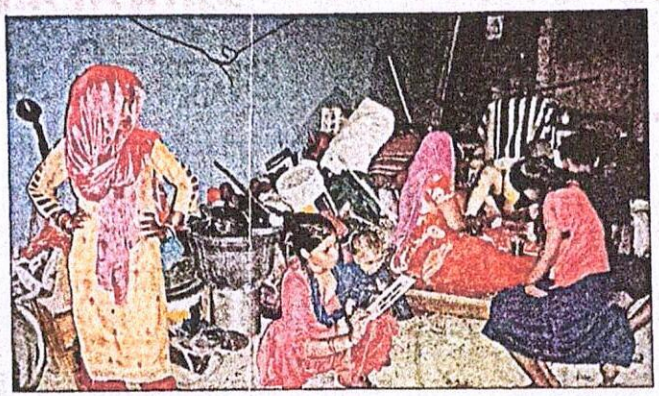

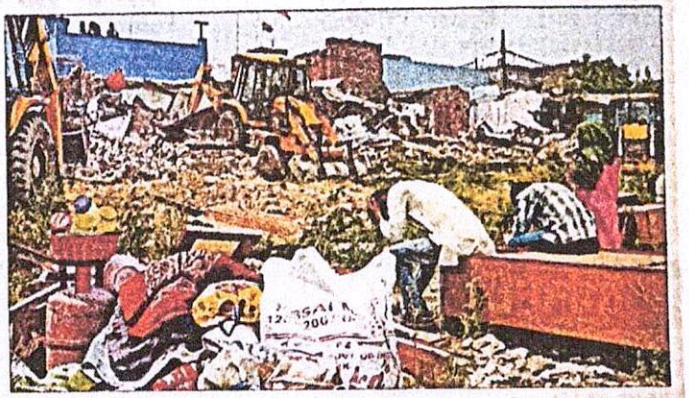

दीपनगर कॉलोनी में बेघर हुए परिवारों को खुले में रात गुजारनी पड़ी। वहीं, कार्रवाई के दौरान अपना घर को टूटते देख युवक सिर पकड़कर रोने लगे। संवाद

सालों से नदी किनारे हो रहा कब्जा

नदी किनारे मकानों पर कब्जे का यह खेल पुराना है। रिस्पना किनारे धीरे-धीरे कब्जा होता चला गया, लेकिन किसी ने गंभीरता ने नहीं लिया। मौके पर लोगों ने चीख-चीखकर कहा कि जिन्होंने ये मकान बेचे उनके भी मकान टूटने चाहिए। बताया जाता है कि एक व्यक्ति ने धीरे-धीरे नदी पर कब्जा करना शुरू किया। उसके बाद जरूरतमंद लोगों को ये मकान बेचने शुरू किए। किसी को पांच लाख, किसी को चार लाख तो किसी को 10 लाख रुपये में मकान बेचा गया।

तो क्या निगम की शह पर ही हुआ था अतिक्रमण

अतिक्रमण तोड़ने पहुंची टीम के सामने ही मलिन बस्ती के लोगों ने आरोप लगाए कि जमीन पर कब्जा नगर निगम की शह पर हुआ था। आज निगम की टीम मकान तोड़ रही है, लेकिन जब कब्जा हो रहा था तब निगम की टीम कहां थी? उस समय लोगों ने कब्जा किया और धीरे-धीरे मकानों को बाहर से आए इन लोगों को बेच दिया। लोगों का आरोप है कि जिसने मकान बेचे उसका भाई निगम में ठेकेदारी का काम करता है। ऐसे में कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं।

कार्रवाई के विरोध में नगर निगम में प्रदर्शन

देहरादून। अतिक्रम तोड़े जोन की कार्रवाई को अवैध ठहराते हुए विभिन्न जन संगठनों और राजनीतिक दलों ने नगर निगम में धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान सभी ने नगर आयुक्त को ज्ञापन देकर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई को गैरकानूनी बताते हुए प्रभावितों को सबूत पेश करने के लिए समय देने की मांग की। ज्ञापन में कहा गया है कि सबूत के तौर पर बिजली, पानी बिलों के अलावा आधार, वोटर कार्ड, राशन कार्ड अन्य सभी आवश्यक कागजातों को भी माना जाए। नगर आयुक्त ने प्रदर्शनकारियों के मध्य आकर आश्वासन दिया कि ये प्रभावितों के मामले में गंभीरता से विचार करेंगे और सभी प्रभावितों पक्ष रखने का पूरा का पूरा मौका देंगे। इसके बाद प्रदर्शनकारियों ने निर्णय लिया कि वे 30 मई को सचिवालय पर होने वाले प्रदर्शन में अधिक से अधिक संख्या में हिस्सा लेंगे। संवाद

71

अमर उजाला 29/5/2024

अमर उजाला दिनांक 29/5/24

जबरदस्त विरोध के बीच आठ मकान ढहाए

दीपनगर में अतिक्रमण पर कार्रवाई

रिस्पना नदी किनारे बने इन आठ मकानों को दिए गए थे खाली करने के नोटिस

संवाद न्यूज एजेंसी

देहरादून। रिस्पना नदी की जमीन पर हुए अतिक्रमण के खिलाफ एनजीटी के आदेश पर नगर निगम की कार्रवाई दूसरे दिन भी जारी रही। भारी पुलिस बल के साथ दीपनगर पहुंची टीम ने आठ मकानों को बुलडोजर से ढहा दिया। इस दौरान टीम को जबरदस्त विरोध का सामना करना पड़ा। हंगामें के बीच पांच घंटे तक कार्रवाई चली।

मंगलवार सुबह भारी पुलिस बल के साथ नगर निगम की टीम सुबह 10.15 बजे दीपनगर पहुंची। टीम के कार्रवाई शुरू करते ही महिलाएं और पुरुष बुलडोजर के सामने आ गए। इसके बाद टीम ने पुलिस बल की मदद से सभी को वहां से हटाया। दयाल सिंह के मकान के बगल में बनी दीवार तोड़कर जेसीबी ने नदी में उतरने का रास्ता बनाया। इसके बाद जेसीबी नदी में उतर गई और मकानों को तोड़ना शुरू कर दिया। सबसे पहले दयाल सिंह ठाकुर के मकान से शुरूआत की गई। इसके बाद टीम ने एक-एक कर सभी आठ मकानों को ध्वस्त कर दिया। उप नगर आयुक्त गोपाल राम बिनवाल ने बताया कि एनजीटी के आदेश पर अतिक्रमण के खिलाफ अभियान जारी है। मंगलवार को दूसरे दिन आठ मकानों को तोड़ने की कार्रवाई की गई है। आगे भी अभियान जारी रहेगा।

इस दौरान मौके पर मजिस्ट्रेट हरगिरी, अपर नगर आयुक्त वीर सिंह बुदियाल, उप नगर नगर आयुक्त गोपाल राम बिनवाल, तहसीलदार मो. शादाब, कर अधीक्षक राहुल कैंथोला सहित पुलिस के अधिकारी मौजूद रहे।

दीपनगर कॉलोनी में रिस्पना नदी की जमीन पर अतिक्रमण कर बनाए गए घरों को तोड़ती नगर निगम की जेसीबी। संवाद

पुलिस ने बल प्रयोग किया तो लोग अपना सामान समेटकर भागने लगे। संवाद

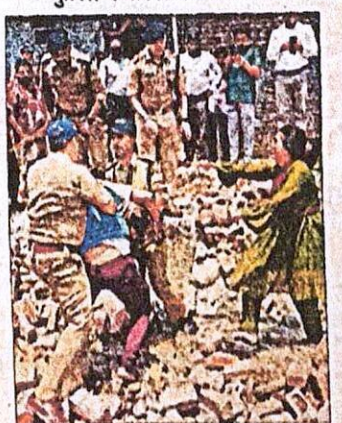

विरोध कर रहे लोगों को ले जाती पुलिस और सामान समेटकर जाते लोग। संवाद

"बस्ती अवैध थी तो इसे बसने ने क्यों दिया गया। गरीब लोगों के मकान तो तोड़ दिए जाते है लेकिन, सरकार की करोड़ों रुपये की जमीन पर कब्जा करने वालों का कुछ नही होता। -विकास, कॉलोनीवासी

"सरकार को गरीब लोगों को बसाने का इंतजाम भी करना चाहिए था। क्या यहीं पर ही अवैध कब्जा है। - विक्रम सिंह, कॉलोनीवासी

"कई स्थानों पर लोगों ने अवैध कब्जे किए हुए हैं लेकिन सरकार कभी इनके खिलाफ कोई कदम नहीं उठाती। बरसात शुरू होने वाली है अब ये बेघर लोग कहां सिर छिपाएंगे। -कीर्ति, कॉलोनीवासी

"घर तोड़ने से पहले इन लोगों को बसाने के लिए सरकार को व्यवस्था करनी चाहिए थी। अब ये कहां रहेंगे। -प्रीति, कॉलोनीवासी

इनके घरों पर हुई कार्रवाई

1. टीकमराम
2. दयाल सिंह ठाकुर
3. सुरेश कुमार
4. दिग्विजय उर्फ दिग्गी
5. राकेश पुत्र बचान
6. सोनू शर्मा
7. रवी कुमार
8. अज्ञात

473

नगर निगम ने मलिन बस्तियों में 35 अतिक्रमण हटाए

अमर उजाला 28/5/2024

भारी पुलिस बल लेकर पहुंची नगर निगम की टीम, अतिक्रमणकारियों में मचा हड़कंप

रिस्पना नदी के किनारे चला बुलडोजर

संवाद न्यूज एजेंसी

देहरादून। रिस्पना नदी किनारे मलिन बस्तियों के अतिक्रमण पर सोमवार को नगर निगम का बुलडोजर चला। सिटी मजिस्ट्रेट के नेतृत्व में भारी पुलिस बल लेकर पहुंची नगर निगम की टीम ने 35 अतिक्रमण ध्वस्त किए। सुबह नौ बजे से शुरू हुई कार्रवाई शाम चार बजे तक चली। इस दौरान अतिक्रमणकारियों में हड़कंप मचा रहा।

नगर निगम ने रिस्पना नदी किनारे मार्च 2016 के बाद बने 525 अतिक्रमण चिह्नित कर एनजीटी को रिपोर्ट सौंपी थी। एनजीटी ने इन्हें 30 जून तक हटाने के निर्देश दिए थे। कुल 525 में से 89 अतिक्रमण नगर निगम के क्षेत्र में थे बाकी एमडीडीए और नगर पालिका मसूरी क्षेत्र के थे। नगर निगम ने अपने क्षेत्र के अतिक्रमण हटाने के लिए अभियान शुरू किया है।

सोमवार सुबह मजिस्ट्रेट हरगिरी और अपर नगर आयुक्त वीर सिंह बुदियाल के नेतृत्व में निगम की टीम सुबह नौ बजे चूना भट्ठा पहुंची और वहां से अतिक्रमण हटाना शुरू कर दिया। एक-एक कर टीम ने वहां अतिक्रमण हटाए। इसके बाद टीम ने शास्त्रीनगर, चंदर रोड, राजेश रावत कॉलोनी, बलबीर रोड से अतिक्रमण हटाया। अभियान के पहले दिन टीम ने तीन जेसीबी से 35 अतिक्रमण हटाए। विरोध की आशंका पर कार्रवाई के दौरान भारी पुलिस बल मौजूद रहा। सीओ डालनवाला और सीओ रायपुर के साथ 70 पुलिसकर्मी और पीएसी के जवान थे। अपर नगर आयुक्त वीर सिंह बुदियाल, उप नगर आयुक्त रामकुमार बिनवाल, कर अधीक्षक राहुल कैंथोला के साथ नगर निगम की 40 लोगों की टीम अभियान में लगी थी। इनमें 30 मजदूर थे।

चूना भट्टा के चंदर रोड स्थित नई बस्ती में अतिक्रमण हटाती नगर निगम की जेसीबी। संवाद

- चूना भट्टा और शास्त्रीनगर से 20 अतिक्रमण हटाए गए। सुबह करीब नौ बजे से साढ़े दस बजे तक कार्रवाई चली।
- राजेश रावत कॉलोनी से आठ अतिक्रमण हटाए गए। यहां एक घंटा कार्रवाई चली।
- चंदर रोड से तीन अतिक्रमण हटाए गए। यहां भी एक घंटा तक कार्रवाई चली। यहां पर राहुल शर्मा नाम के एक व्यक्ति का घर खाली कराकर समान बाहर रखा गया। उसके बाद ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई।
- बलबीर रोड से दो अतिक्रमण हटाए गए। यहां आधा घंटा तक कार्रवाई चली।
- नीमी रोड से दो अतिक्रमण हटाए और यहां भी आधा घंटा कार्रवाई चली। शाम चार बजे करीब अभियान समाप्त हो गया।

बड़ी संख्या में पुलिस बल लेकर अतिक्रमण हटाने पहुंची निगम की टीम। संवाद

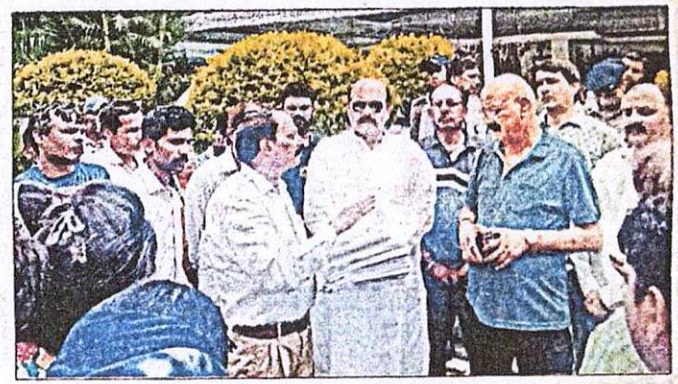

मलिन बस्ती वालों को लेकर मंत्री सुबोध उनियाल से मिले पूर्व विधायक राजकुमार। अमर उजाला

कार्रवाई को बताया गलत, ज्ञापन सौंपा

देहरादून। निगम ने सोमवार से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू की तो कई दलों और सामाजिक संगठनों ने इसका विरोध करते हुए कार्रवाई को गलत बताया। कांग्रेसियों ने कैबिनेट मंत्री से मुलाकात कर इसे रोकने की मांग की तो अन्य संगठनों ने इस संबंध में एसडीएम को ज्ञापन आठ सूत्रीय ज्ञापन सौंपा।

विभिन्न राजनीतिक दलों, मजदूर संगठनों तथा सामाजिक संगठनों ने बस्तियों के पुनर्वास किए बिना कार्रवाई किए जाने का विरोध किया।

संगठन के लोगों ने कहा कि प्रभावित लोगों ने ठोस सबूत पेश किए थे, उसके बाद भी कार्रवाई हुई। ये कार्रवाई चुनाव आचार संहिता का खुला उल्लंघन है, क्योंकि वर्तमान में कोई भी कार्यवाही चुनाव आयोग के स्वीकृति के बिना संभव नहीं है। मामले में एसडीएम शालिनी नेगी को ज्ञापन सौंपा गया। संवाद

चहारदीवारी तोड़ने पर आक्रोश, सौंपा ज्ञापन

देहरादून। शिवपुरम लेन नंबर- 2 वार्ड- 99 नकरौंदा में सोमवार को चहारदीवारी व घरों की बाहर बनी क्यारियों पर बगैर नोटिस दिए निगम की ओर से हुई कार्रवाई से स्थानीय लोगों में आक्रोश है। मामले को लेकर लोग डीएम कार्यालय जा पहुंचे। डीएम की गैर मौजूदगी में एसडीएम शालिनी कनौजिया को ज्ञापन सौंपा गया। इस दौरान रोहित पांडे, वार्ड अध्यक्ष कलावती नेगी, उमा नेगी, रोहित पांडे मुन्नी राणा, विनीता मनवाल आदि मौजूद रहीं। संवाद

कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल से मिले कांग्रेसी

कांग्रेसियों ने मलिन बस्तियों में अतिक्रमण के पर एमडीडीए के नोटिसों की दोबारा जांच किए जाने की मांग की। पूर्व विधायक राजकुमार के नेतृत्व में कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल से मिले प्रतिनिधि मंडल ने कहा कि इन नोटिसों की दोबारा जांच की जाए। ज्ञापन में कहा गया कि सभी बस्तियां 30 से 35 साल पुरानी हैं। इन बस्तियों में नगर निगम पीडब्ल्यूडी, सिंचाई विभाग, एमडीडीए, विद्युत विभाग, जल निगम, जल संस्थान ने काम किए हैं। नगर निगम इन बस्तियों से हाउस टैक्स भी लेता है। इस दौरान प्रदेश महामंत्री गोदावरी थापली, पूर्व महानगर अध्यक्ष लालचन्द शर्मा, सोम प्रकाश वाल्मीकि, अर्जुन सोनकर आदि मौजूद रहे।

कांग्रेस पार्षद ने लगाया दुष्प्रचार करने का आरोप

वार्ड-4 राजपुर रोड की पार्षद उर्मिला थापा ने कहा कि बस्तियों के मकान तोड़ने के लिए नगर निगम कार्रवाई कर रहा है। उन्होंने बताया कि इसमें कुछ लोगों द्वारा झूठ प्रचारित किया जा रहा है कि पार्षद के पत्र पर यह कार्रवाई की जा रही है। जबकि ऐसा नहीं है।

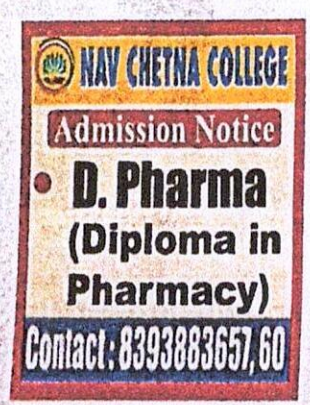

दैनिक जागरण 26/5/2024

73

दिनांक 26/5/24

आर्द्रता 40%

देहरादून जागरण

अतिक्रमण पर कल से चलेगा बुल्डोजर

रिस्पना किनारे चिह्नित किए 524 कब्जों में से 79 पर पहले चरण में होगी कार्रवाई

तैयारी

जागरण संवाददाता, देहरादून: रिस्पना नदी किनारे किए गए अतिक्रमण को ध्वस्त करने का काउंटडाउन शुरू हो गया है। सोमवार से पुलिस, प्रशासन और नगर निगम की संयुक्त टीम वर्ष 2016 के बाद अस्तित्व में आए अतिक्रमण पर बुल्डोजर चलाएगी। अतिक्रमण ध्वस्त किए जाने की कार्रवाई को धरातल पर उतारने के लिए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अजय सिंह की अध्यक्षता में बैठक कर रणनीति तैयार की गई।

रिस्पना नदी किनारे अतिक्रमण को ध्वस्त करने की कार्रवाई एनजीटी के आदेश के क्रम में की जा रही है। जिसके क्रम में नगर निगम ने रिस्पना नदी किनारे काठबंगला बस्ती से लेकर मोथरोवाला के बीच के 13 किलोमीटर भाग पर 27 मलिन बस्तियों का सर्वे किया। इनमें वर्ष 2016 के बाद 524 अतिक्रमण पाए गए। 89 अतिक्रमण नगर निगम की भूमि पर, जबकि 12 नगर पालिका मसूरी और 11 राजस्व भूमि पर पाए गए। दूसरी तरफ नगर निगम के नियंत्रण में रिवर फ्रंट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए जिस भूमि को एमडीडीए के नियंत्रण में दिया गया था, उस पर 414 से अधिक अतिक्रमण होने की बात सामने आई है। बाकी विभागों/एजेंसियों को छोड़कर नगर निगम ने आपत्तियों की सुनवाई के बाद 79 अतिक्रमण ध्वस्त किए जाने योग्य पाए गए। एसएसपी की बैठक में इसी बात पर चर्चा की गई कि अतिक्रमण के प्रकरणों के निस्तारण के क्रम में अभियान को निरंतर गति दी जाएगी। ताकि सभी शंकाओं के समाधान के क्रम में अतिक्रमण पर सख्त कार्रवाई की जा सके। बैठक में नगर आयुक्त गौरव कुमार, पुलिस अधीक्षक नगर प्रमोद कुमार, अपर नगर आयुक्त धीर सिंह बुदियाल, उप नगर आयुक्त सदर गोपाल राम बिनवाल, उपजिलाधिकारी सदर हर गिरि आदि उपस्थित रहे।

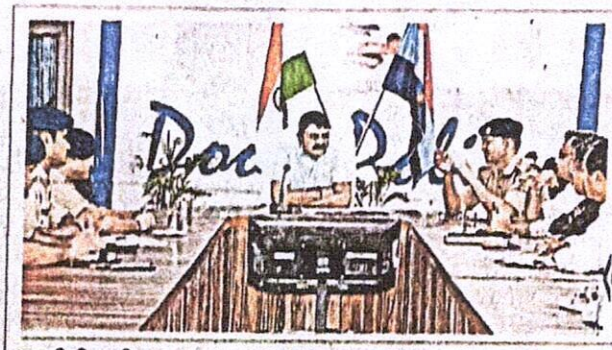

- अतिक्रमण के विरुद्ध कार्रवाई के लिए एसएसपी ने अधिकारियों के साथ बैठक में तैयार की रणनीति
- एनजीटी के आदेश पर होगी कार्रवाई, वर्ष 2016 के बाद किए कब्जे किए गए हैं चिह्नित

अतिक्रमण हटाने को नगर निगम के अधिकारियों के साथ बैठक करते एसएसपी अजय सिंह • साभार- पुलिस

एमडीडीए भी जल्द करेगा निस्तारण, नोटिस जारी

एनजीटी के आदेश के क्रम में एमडीडीए ने भी अपने नियंत्रण वाली जमीनों पर हुए कब्जों को लेकर नोटिस भेजने शुरू कर दिए हैं। एमडीडीए की टीमें काठबंगला बस्ती पुल से लेकर बाला सुंदरी मंदिर के बीच अवैध निर्माण पर नोटिस भेज रही हैं। संबंधित लोगों को सीधे नोटिस तामील कराए जा रहे हैं। एमडीडीए की रिवर फ्रंट डेवलपमेंट की जमीनों में करीब 414 अतिक्रमण हैं। अभी तक ध्वस्तीकरण को लेकर करीब 300 नोटिस भेजे जा चुके हैं। नोटिस में साफ कहा गया है कि एमडीडीए के प्रबंधन की जमीनों में नगर निगम ने अतिक्रमण चिह्नित किए हैं। कहा गया है कि संबंधित लोग 30 जून तक अपने अवैध निर्माण खुद हटा लें। वरना एमडीडीए की ओर से अवैध निर्माण तोड़ने पर इसमें आए खर्चे की वसूली संबंधित लोगों से की जाएगी। वहीं, जिसका अवैध निर्माण मार्च 2016 से पहले का है तो वे एक सप्ताह के भीतर दस्तावेज लेकर एमडीडीए कार्यालय में आ सकता है। नोटिस तालीम होने के चलते संबंधित लोग अपने अपने क्षेत्रों के स्थानीय नेताओं से संपर्क साध रहे हैं। इसके साथ ही नगर निगम चुनाव में पार्षद पद की दावेदारी कर रहे लोग भी बस्तियों में सक्रिय हो गए हैं।

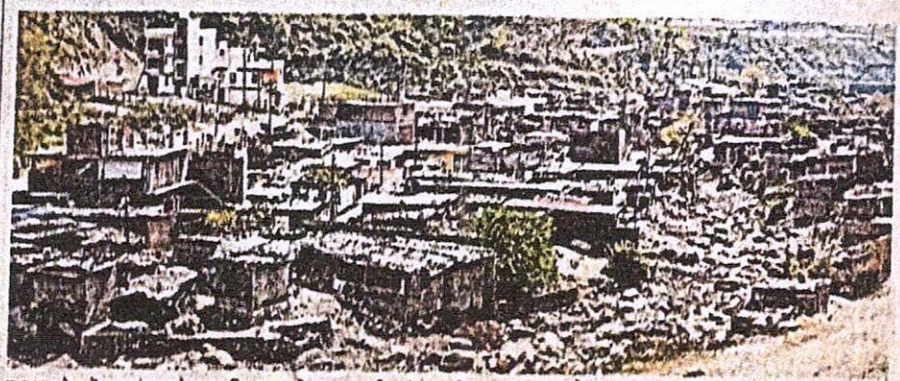

राजपुर क्षेत्र में काठबंगला के पास रिस्पना नदी तट पर बनी अवैध बस्ती • जागरण आर्काइव

SYMBIO PROFES

74

दैनिक जागरण 26/5/2024

52 अतिक्रमण ध्वस्त, आज भी गरजेगी जेसीबी

पहले दिन नगर निगम ने चूना भट्ठा से बलबीर रोड तक छिटपुट विरोध के बीच हटाया अतिक्रमण

जागरण संवाददाता, देहरादून: रिस्पना नदी के किनारे अतिक्रमण का ध्वस्तीकरण शुरू हो गया है। सोमवार को पुलिस बल की मौजूदगी में चूना भट्ठा से राजेश रावत कालोनी होते हुए बलबीर रोड स्थित बस्ती में नगर निगम की जेसीबी गरजी। हालांकि, इस दौरान टीम को विरोध का भी सामना करना पड़ा, लेकिन पुलिस ने अतिक्रमणकारियों को खदेड़ दिया। पहले दिन निगम की टीम ने कुल 35 स्थायी और 17 अस्थायी अतिक्रमण हटाए। शेष अतिक्रमण मंगलवार को ध्वस्त किए जाएंगे।

एनजीटी के आदेश के क्रम में रिस्पना के किनारे वर्ष 2016 के बाद किए गए अतिक्रमण का ध्वस्तीकरण शुरू हो गया है। रिस्पना के किनारों पर 27 मलिन बस्तियों के सर्वे में वर्ष 2016 के बाद 524 अतिक्रमण पाए गए। जिनमें 89 अतिक्रमण नगर निगम की भूमि पर, जबकि 12 नगर पालिका मसूरी और 11 राजस्व भूमि पर पाए गए। दूसरी तरफ नगर निगम के नियंत्रण में रिवर फ्रंट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए जिस भूमि को एमडीडीए के नियंत्रण में दिया गया था, उस पर 414 से अधिक अतिक्रमण होने की बात सामने आई है। आपत्तियों की सुनवाई के बाद 74 अतिक्रमण की अंतिम सूची तैयार की गई। जिन पर सोमवार को कार्रवाई शुरू की गई। बड़ी संख्या में पुलिस कर्मी सुबह करीब आठ बजे डालनवाला थाने में एकत्रित हुए। जहां पुलिस क्षेत्राधिकारी आशीष भारद्वाज ने सभी को कार्रवाई के संबंध में ब्रीफ किया। इसके बाद नगर निगम से अपर नगर आयुक्त वीर सिंह बुटियाल व उप नगर आयुक्त गोपाल राम बिनवाल के नेतृत्व में निगम की टीम डालनवाला थाने पहुंची। यहां से कार्रवाई करने के लिए टीम करीब पौने नौ बजे निकली और चूना भट्ठा पुल के पास स्थित बस्ती से कार्रवाई शुरू की। इस दौरान नगर निगम की तीन जेसीबी नदी में उतारी गईं और चिह्नित अतिक्रमण को ध्वस्त किया। राजेश रावत कालोनी में टीम को विरोध का सामना करना पड़ा।

रायपुर क्षेत्र में चूना भट्ठा के पास अतिक्रमण हटाती नगर निगम की जेसीबी • जागरण

35 स्थायी और 17 अस्थायी अतिक्रमण के विरुद्ध पहले दिन की गई कार्रवाई

27 मलिन बस्तियों के सर्वे में नगर निगम ने 524 अतिक्रमण किए हैं चिह्नित

89 अवैध निर्माण नगर निगम, 12 नगर पालिका मसूरी के जमीन पर पाए गए

74 अतिक्रमण की सूची तैयार की है एमडीडीए ने आपत्तियों पर सुनवाई के बाद

आज दीपनगर में होगी कार्रवाई

नगर निगम की टीम शेष अतिक्रमण हटाने के लिए आज दीपनगर जाएगी। यहां पुलिस बल की मौजूदगी में चिह्नित अतिक्रमण को ध्वस्त किया जाएगा। टीम जेसीबी के साथ सुबह बस्तियों में पहुंचेगी। इसे लेकर पहले ही मुनादी भी करा दी गई है। जिसमें चिह्नित अतिक्रमण को स्वयं हटाने के निर्देश दिए गए हैं।

कार्रवाई कर लावारिस छोड़ी भूमि

नगर निगम की टीम ने एनजीटी के निर्देश पर चिह्नित अतिक्रमण तो ध्वस्त कर दिया, लेकिन नदी किनारे की सरकारी भूमि को फिर लावारिस छोड़ दिया। निगम की ओर से न तो कोई तारबाड़ की गई और न ही सरकारी संपत्ति का बोर्ड लगाया गया। ऐसे में खाली कराई गई भूमि पर फिर अतिक्रमण की आंशका है। इसके अलावा निर्माण धराशायी कर मलबा हटाने के लिए भी निगम की कोई तैयारी नजर नहीं आई। वहीं, तीन जेसीबी से अतिक्रमण तो तोड़े गए, लेकिन छोटे अतिक्रमण को हटाने के लिए निगम ने तैयारी नहीं की। हथौड़ा, गैंती, सब्बल आदि के साथ श्रमिकों को तैयार नहीं रखा गया।

तमाशबीनों ने लगाया जाम

चूना भट्ठा के पास अतिक्रमण पर कार्रवाई के दौरान रायपुर रोड पर तमाशबीनों की भीड़ लग गई। लोग चूना भट्ठा पुल पर वाहन रोककर ध्वस्तीकरण देखने लगे, जिससे सड़क पर जाम लग गया। ऐसे में पुलिस को वहां से तमाशबीनों को खदेड़ना पड़ा।

अगले सप्ताह से एमडीडीए शुरू कर सकता है ध्वस्तीकरण

रिस्पना के किनारे रिवर फ्रंट डेवलपमेंट की जमीनों पर करीब 414 अतिक्रमण हैं। जिन पर एमडीडीए को कार्रवाई करनी है। पिछले एक सप्ताह से एमडीडीए की ओर से संबंधितों को नोटिस तामील कराए जा रहे हैं। अब नोटिस के विरोध में दर्ज आपत्तियों को सुना जा रहा है। सोमवार को एमडीडीए के पास 250 से अधिक आपत्तियां प्राप्त हुई हैं। जिनमें दस्तावेजों की जांच की जा रही है। दावा गलत पाए जाने पर अगले सप्ताह से एमडीडीए ध्वस्तीकरण शुरू कर सकता है। ढाकपट्टी, काठबंगला, तरला नागल, वीर गब्बर सिंह बस्ती आदि क्षेत्रों में सर्वाधिक अतिक्रमण चिह्नित किए गए हैं।

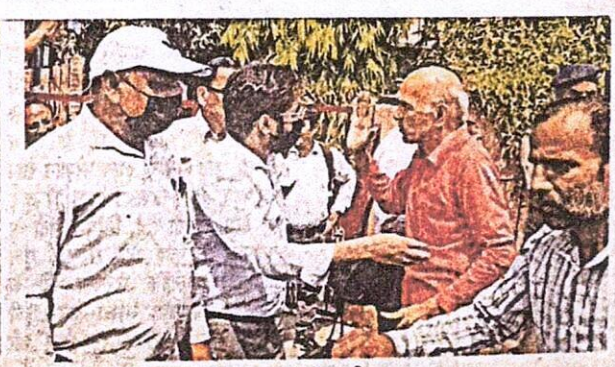

रायपुर रोड स्थित राजेश कालोनी में अतिक्रमण हटाती नगर निगम की जेसीबी। दूसरी ओर अधिकारियों के सामने कार्रवाई का विरोध करते क्षेत्रवासी • जागरण

हिन्दुस्तान 25/5/2024

75

एनजीटी के आदेश पर दून में रिस्पना नदी के किनारे बने मकानों को हटाने की तैयारी

25/5/2024

बस्तियों में पांच सौ मकान ढहाने के लिए पुलिस मांगी

फॉलोअप

देहरादून, कार्यालय संवाददाता। दून नगर निगम और एमडीडीए ने रिस्पना किनारे बसी बस्तियों में सरकारी भूमि पर चिन्हित करीब पांच सौ मकानों को नोटिस देने की प्रक्रिया पूरी कर ली है। इस सूची में जिन लोगों के नाम शामिल हैं, उनको एक हफ्ते के भीतर खुद मकान ढहाना होगा। इसके बाद दोनों महकमे ध्वस्तीकरण की कार्रवाई करेंगे। इसके लिए निगम ने जिला प्रशासन और पुलिस को पत्र लिखकर फोर्स मांगा है।

मसूरी-देहरादून विकास प्राधिकरण और नगर निगम की टीम ने बीते दिनों सर्वे कर रिस्पना किनारे पांच सौ से ज्यादा मकान चिन्हित किए थे। यहां अधिकतर मकान 11 मार्च 2016 के बाद बनाए गए हैं, जिनको अवैध निर्माण की श्रेणी में रखा है। एनजीटी ने दोनों ही महकमों को अतिक्रमण हटाने का आदेश दिया है, जिसके बाद वे अपने स्तर पर कार्रवाई की तैयारी में जुट गए हैं। नगर आयुक्त गौरव कुमार ने बताया कि पुलिस फोर्स के लिए जिला प्रशासन और पुलिस को पत्र लिखा गया है। लोगों को साक्ष्य उपलब्ध करवाने का पूरा मौका भी दिया जा रहा है।

अवैध पीठ बाजार लगाने पर रोक लगाई जाए: देहरादून। चंद्रबनी स्थित गौतम कुंड मंदिर पर अवैध रूप से लग रहे पीठ बाजार को लेकर वहां स्थानीय व्यापारियों और जनप्रतिनिधियों ने धर्मपुर विधायक विनोद चमोली और नगर आयुक्त गौरव कुमार को ज्ञापन सौंपा। उन्होंने जानकारी दी है कि फड़-ठेली लगाने के बदले दुकानदारों से वसूली की जा रही है। इस दौरान निवर्तमान पार्षद मनीष कुमार, हरि प्रसाद भट्ट, राजेश मल्ल, अंकित रोहिला, अभिषेक शर्मा, निर्मल मल्ल, विनीता थापा, मंजू कौशिक, बीना मल्ल, प्रेमलता, सुषमा समेत कई लोग मौजूद रहे।

11 मार्च 2016 के बाद बने मकानों को रखा गया अवैध निर्माण की श्रेणी में

- एमडीडीए और नगर निगम ने 500 से ज्यादा मकानों को जारी किए हैं नोटिस
- बस्तियों में चिन्हित मकान हफ्तेभर के भीतर हटाने का दिया गया अल्टीमेटम

एमडीडीए ने 412, नगर निगम ने 89 को थमाए नोटिस

एमडीडीए ने रिस्पना किनारे अपनी जमीन पर अवैध रूप से बनाए गए 412 मकानों में रह रहे लोगों को नोटिस दिए हैं। जबकि, नगर निगम ने 89 बस्तीवालों को नोटिस जारी किए हैं। नौ मकान राज्य सरकार की भूमि पर बनाए गए हैं। यह मकान 27 बस्तियों में चिन्हित किए गए हैं। अब इन सबके खिलाफ कार्रवाई की तैयारी है। हालांकि, अफसरों का यह भी कहना है कि यदि कोई व्यक्ति बिजली या पानी का तय तारीख से पुराना बिल उपलब्ध करवाता है तो उसे राहत मिल सकती है।

27 बस्तियों में चिन्हित अवैध मकानों पर की जानी है कार्रवाई

- जिला प्रशासन और पुलिस को नगर निगम की चिट्ठी

ब्रह्मपुरी में फ्लैट लेकर किराये पर दिए अपने घर

नगर निगम ने ब्रह्मपुरी वार्ड की बस्ती में सरकारी भूमि पर बने मकानों को खाली करवाने के लिए 56 लोगों को सरकारी फ्लैट दिए। लेकिन, इनमें से ग्यारह लोगों ने सरकारी फ्लैट लेने के बाद अपने मकान खाली नहीं किए। कुछ ने बस्ती में बने मकान किराये पर ही दे दिए। जबकि, नगर निगम को इन्हें खाली करवाना था। इस मामले में भी कार्रवाई की प्रक्रिया चल रही है।

सोलह बीघा में अवैध प्लॉटिंग का काम रोका

देहरादून। एमडीडीए की टीम ने शुक्रवार को हरभजवाला में करीब सोलह बीघा में अवैध प्लॉटिंग का काम रोका। एमडीडीए के उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी ने बताया कि टीमें सभी सेक्टरों में अवैध निर्माण करने वालों और बिना ले आउट प्लॉटिंग करने वालों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। उन्होंने आमजन से अपील की है कि कहीं भी प्लॉट या फ्लैट खरीदने से पहले एमडीडीए से जानकारी प्राप्त कर ली जाए।

अमर उजाला 25/5/2024

76

अमर उजाला दिनांक 25/5/24

27 मलिन बस्तियों पर चलेगा बुलडोजर कार्रवाई के लिए निगम ने मांगी पुलिस

नगर निगम ने इन बस्तियों में 525 अतिक्रमण किए हैं चिह्नित

संवाद न्यूज एजेंसी

देहरादून। 27 मलिन बस्तियों पर जल्द बुलडोजर चलेगा। नगर निगम की ओर से कार्रवाई के लिए प्रशासन से पुलिसबल की मांग की गई है। साथ ही निगम के स्वास्थ्य अनुभाग को गाड़ियों की उपलब्धता सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए गए हैं।

एनजीटी के आदेश पर नगर निगम ने रिस्पना नदी किनारे मार्च 2016 के बाद हुए अतिक्रमण को चिह्नित किया था। सर्वे में 27 मलिन बस्तियों में 525 अतिक्रमण चिह्नित किए गए। इनमें से नगर निगम की संपत्ति पर 89, रिवर फ्रंट योजना के तहत एमडीडीए को दी गई जमीन पर 413 और 12 अतिक्रमण मसूरी नगर पालिका की भूमि पर मिले। एनजीटी ने इस मामले में 30 जून तक हर हाल में अतिक्रमण हटाने के लिए निर्देश दिए हैं। इसी के चलते निगम ने तैयारी शुरू कर दी है। नगर निगम ने प्रशासन को लिखे पत्र में पुलिस फोर्स की मांग की है।

15 आपत्तियां मिलीं सही, अभी भी कर सकते हैं दावा : अतिक्रमण चिह्नित करने के बाद निगम ने लोगों से आपत्तियां भी मांगी थी। लोगों से मांग की गई थी कि जिनका कब्जा मार्च 2016 से पहले का है, इसको कागजों के आधार पर साबित कर अतिक्रमण के दायरे से बाहर आया जा सकता है। इस दौरान कई आपत्तियां दर्ज की गईं। निगम की जांच में करीब 15 आपत्तियां सही मिलीं। हालांकि, निगम के अधिकारियों का कहना है कि यदि किसी के पास मार्च 2016 से पहले का कब्जा होने के सबूत हैं तो वह अभी भी निगम को दे सकता है।

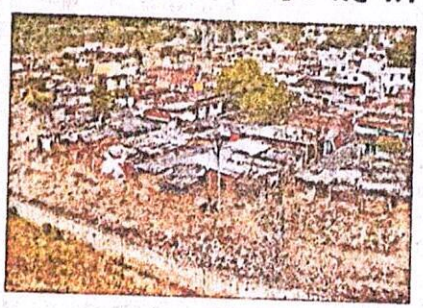

तीन टीमें की गई हैं गठित

नगर निगम ने कार्रवाई के लिए तीन टीमें गठित की हैं। तीनों टीमें अलग-अलग हिस्से में काम करेंगी। इसके लिए फोर्स को भी तीन हिस्सों में बांटा जाएगा। इसके अलावा नगर निगम के स्वास्थ्य अनुभाग को तैयारी करने के निर्देश दिए गए हैं। निगम ने कर्मचारी, ट्रैक्टर-ट्रॉली, जेसीबी आदि संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करने की सख्त हिदायत दी है।

अब एमडीडीए ने नगर निगम की सूची के आधार पर 413 परिवारों से मांगे कागज

संवाद न्यूज एजेंसी

2016 से पहले काबिज नहीं होने वाले घोषित होंगे अवैध, चल सकता है बुलडोजर

देहरादून। मलिन बस्तियों में जिन कब्जेधारियों को 2016 से पहले काबिज होने की बात कहते हुए एमडीडीए पल्ला झाड़ रहा था। अब नगर निगम की सूची के आधार पर उन सभी 413 परिवारों को एमडीडीए ने नोटिस थमा दिया है। इनसे कागजों के साथ जवाब मांगा गया है। 2016 से पहले काबिज होने का प्रमाण नहीं देने वालों को अवैध घोषित किया जाएगा। माना जा रहा है कि अवैध कब्जे घोषित होते ही इन पर बुलडोजर भी चल सकता है।

गौरतलब है कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की ओर से रिस्पना नदी किनारे कब्जों को लेकर दिशा-निर्देश जारी किए गए थे। इसके अंतर्गत नगर निगम देहरादून ने सर्वे कराया था। नगर निगम ने सर्वे रिपोर्ट जारी कर बताया था कि नदी किनारे 2016 के बाद 525 आवास बनाए गए हैं, जो कि नियमानुसार अवैध कब्जों की श्रेणी में आते हैं। यही नहीं निगम ने यह भी बताया था कि इन आवासों में 89 आवास नगर निगम की भूमि पर बने हैं। जबकि, 413 आवास एमडीडीए के अंतर्गत आ रही भूमि पर बनाए गए हैं। यह भी आरोप लगाया था कि एमडीडीए ने आवास स्वामियों को नोटिस तक जारी नहीं किए हैं।

इस संबंध में निगम ने एमडीडीए को पत्र भी भेजा था। इससे दोनों विभागों में कार्रवाई और जवाबदेही को लेकर कागजी जंग भी शुरू हो गई थी। हालांकि, एमडीडीए का कहना था कि निगम के सर्वे में जो कब्जे दर्शाए गए हैं, दरअसल वह 2016 से पहले ही अस्तित्व में थे। इसके लिए गूगल इमेज भी निकाली गई। इसके जरिए बताने की कोशिश की गई कि कब्जों को लेकर 2016 से पहले और बाद की स्थिति में कोई ज्यादा अंतर नहीं है।

अब मामला तूल पकड़ने लगा तो एमडीडीए ने किसी विवाद से बचने के लिए नगर निगम की ओर से उपलब्ध कराई गई अवैध कब्जों की सूची के आधार पर बस्ती के लोगों को नोटिस थमाने शुरू कर दिए हैं। एमडीडीए उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी ने बताया कि सभी लोगों को नोटिस जारी कर दिए हैं। जवाब मिलने पर स्थिति स्पष्ट हो जाएगी।

Annexure No 4

77

कार्यालय 0135-2753150
E-mail : doondivn@gmail.com

उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम
कार्यालय : अधिशासी अभियन्ता, देहरादून शाखा,

गली नं0 11, राजेन्द्र नगर, देहरादून -248001

पत्रांक : 2700 / 374 / 56 दिनांक : 11.07.2024

सेवा मे

नगर आयुक्त
नगर निगम,
देहरादून।

विषय :- **मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली में योजित मूल आवेदन संख्या -417/2022 निरंजन बागछी बनाम उत्तराखण्ड राज्य के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपरोक्त विषयक मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित मूल आवेदन सं0 417/2022 निरंजन बागछी बनाम उत्तराखण्ड राज्य के अनुपालन में अपर नगर आयुक्त, नगर निगम, देहरादून के कार्यालय कक्ष में दिनांक 11.07.2024 को आहुत बैठक में लिये गये निर्णयानुसार सूचना/आख्या संलग्नक कर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है।

संलग्नक :- उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(जीतमणि बेलवाल)
अधिशासी अभियन्ता

पृ0सं0 एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्नक सहित प्रेषित :-

1. मुख्य अभियन्ता (मु0/गंगा), उत्तराखण्ड पेयजल निगम, देहरादून।
2. जिलाधिकारी महोदया, देहरादून।
3. अधीक्षण अभियन्ता, निर्माण मण्डल, उत्तराखण्ड पेयजल निगम, देहरादून।
4. महप्रबन्धक, निर्माण मण्डल (गंगा), उत्तराखण्ड पेयजल निगम, हरिद्वार।
5. श्री रामकुमार, सहायक अभियन्ता को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

संलग्नक :- उपरोक्तानुसार।

अधिशासी अभियन्ता

ऐसे अवशेष नाले/नालियों का विवरण, जिन्हें किन्ही कारणवश टेप नहीं किया जा सका।

क्र0 सं0	नाले/नालियों का विवरण	संख्या	टिप्पणी	फोटोग्राफ
1	2	3	4	5
1	मोथरोवाला पुल से एस0पी0एस0 के मध्य नालों/नालियों की संख्या (नदी के दायीं ओर)	01 नग	यह एक रिचार्ज नाला है, जिस कारण आई0 एण्ड डी0 का निर्माण नहीं किया गया एवं इसके कैचमेन्ट क्षेत्र में यू0यू0एस0डी0ए0 द्वारा सीवर लाईन बिछाने एवं सीवर रायोजन का कार्य किया जा रहा है।	
2	एस0पी0एस0 से नारी निकेतन पुल के मध्य नालों/नालियों की संख्या			
	नदी के बायीं ओर			
2.1	मोथरोवाला एस0टी0पी0 के निकट (अपस्ट्रीम)।	01 नग	वन क्षेत्र का नाला है, जिसमे वन क्षेत्र का वर्षा का पानी प्रावाहित होता है। जिस कारण वर्तमान में नाले को टेप किये जाने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है।	
2.2	दून यूनिवर्सिटी के विपरीत बस्ती	01 नग	यह वन क्षेत्र का बरसाती नाला है एवं नाले में केवल वर्षा का पानी ही बहता है, जिस कारण वर्तमान में नाले को टेप किये जाने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है।	
2.3	दून यूनिवर्सिटी के विपरीत	01 नग	प्रस्तावित आई0 एण्ड डी0 का लेवल मुख्य सीवर लाईन के इनवर्ट लेवल से नीचे होने के कारण निर्माण नहीं किया जा सका। नाले के कैचमेन्ट क्षेत्र जिस क्षेत्र का गन्दा पानी नाले में गिरता है, में ए0डी0बी0 द्वारा सीवर लाईन बिछाने एवं कनैक्शन का कार्य किया जा रहा है। सीवर लाईन बिछाये जाने के उपरान्त नाले में गन्दा पानी बहने की सम्भावना नहीं होगी।	
2.4	निकट डॉग हाउस	01 नग	नाली सूख जाने के कारण आई0 एण्ड डी0 की आवश्यकता नहीं है।	
	नदी के दायीं ओर			

क्र0 सं0	नाले/नालियों का विवरण	संख्या	टिप्पणी	फोटोग्राफ
1	2	3	4	5
2.5	सचिवालय कॉलोनी मोथरोवाला	01 नग	इससे सचिवालय परिसर का पानी प्रवाहित होता है। नाली के आउटफॉल के पास कोई सीवर लाईन न होने के कारण इसे नहीं जोड़ा जा सका था। वर्तमान में आसपास से मोथरोवाला आउटफॉल सीवर का कार्य प्रगति पर है। कार्य पूर्ण होने के उपरान्त सचिवालय परिसर की सीवर लाईन को इस सीवर लाईन से जोड़ दिया जायेगा।	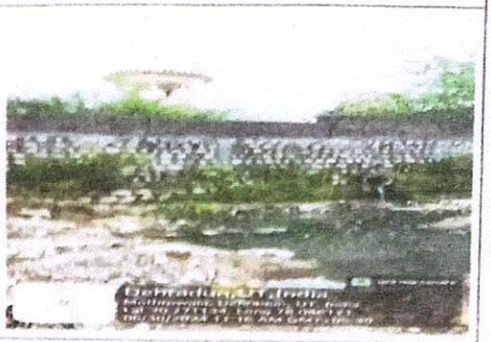
3	**नारी निकेतन पुल से हरा पुल के मध्य नालों/नालियों की संख्या**			
	नदी के बायीं ओर			
3.1	शिव मन्दिर के निकट	01 नग	कैचमेन्ट क्षेत्र में सीवर कनेक्शन होने के कारण नाली वर्तमान में सूखी है, जिसमे आई0 एण्ड डी0 निर्माण की आवश्यकता नहीं है।	
	नदी के दायीं ओर			
3.2	दीपनगर में नदी तट से लगी हुई बस्ती	01 नग	आई0 एण्ड डी0 हेतु पर्याप्त जगह उपलब्ध न होने के कारण आई0 एण्ड डी0 का निर्माण नहीं किया जा सका। समस्त क्षेत्र सीवर से आच्छादित है एवं नाली में लगभग 10–12 घरों का ही पानी प्रवाहित होता है। सीवर संयोजन दिये जाने के उपरान्त गंदा पानी नहीं बहेगा।	
4	**हरा पुल से रिस्पना (विधानसभा) पुल के मध्य नालों/नालियों की संख्या**			
	नदी के दायीं ओर			
4.1	दीपनगर में नदी तट से लगी हुई बस्ती	01 नग	आई0 एण्ड डी0 निर्माण हेतु पर्याप्त जगह उपलब्ध न होने के कारण आई0 एण्ड डी0 का निर्माण नहीं किया जा सका। श्राव न्यून एवं निरन्तर नही है। नाली का कैचमैन्ट क्षेत्र सीवर लाईन से आच्छादित है। शत–प्रतिशत सीवर संयोजन होने के उपरान्त नाली में गन्दा पानी नहीं बहेगा।	
4.2	निकट प्रसार भारती कार्यालय नदी के दायी ओर	01 नग	आई0 एण्ड डी0 निर्माण हेतु पर्याप्त जगह उपलब्ध न होने के कारण निर्माण नहीं किया जा सका। नाली का कैचमैन्ट क्षेत्र सीवर लाईन से आच्छादित है एवं वर्तमान में चालू है एवं अस्थाई व्यवस्था के अन्तर्गत दीपनगर आई0 एण्ड डी0 में टेप किया गया है।	

क्र0 सं0	नाले/नालियों का विवरण	संख्या	टिप्पणी	फोटोग्राफ
1	2	3	4	5
5	निकट तिब्बती मार्केट नदी के दायी ओर	01 नग	आई0 एण्ड डी0 निर्माण हेतु पर्याप्त जगह उपलब्ध न होने के कारण निर्माण नहीं किया जा सका। नाली का कैचमैन्ट क्षेत्र सीवर लाईन से आच्छादित है एवं वर्तमान में चालू है एवं अस्थाई व्यवस्था के अन्तर्गत दीपनगर आई0 एण्ड डी0 में टेप किया गया है।	
6	रिस्पना पुल से बलबीर रोड पुल के मध्य नालों/नालियों की संख्या (नदी के बायीं ओर)	1 नग	यह बरसाती नाला है, सजीव नगर का आंशिक भाग का अशुद्ध जल भी प्रवाहित होता है। नाले का कैचमेन्ट क्षेत्र सीवर से आच्छादित है। समस्त सीवर संयोजन होने के पश्चात आवासीय परिसरों के अशुद्ध जल को रोका जा सकता है।	
7	बलबीर रोड पुल से इन्दर रोड पुल के मध्य नालों/नालियों की संख्या (नदी के दायीं ओर)	01 नग	पुल अबेडमेन्ट के मध्य में होने एवं निर्माण हेतु पर्याप्त स्थान उपलब्ध नहीं होने के कारण आई0 एण्ड डी0 का निर्माण नहीं किया जा सका। अवगत हुआ कि अन्य विकल्प हेतु भी पुल से 100.00 मी0 पहले आई0 एण्ड डी0 निर्माण हेतु लोक निर्माण विभाग से अनापत्ति चाही गयी थी, परन्तु लोक निर्माण विभाग द्वारा अनापत्ति निर्गत नहीं हो पायी। नाली का कैचमेन्ट क्षेत्र वर्तमान में सीवर से आच्छादित है एवं सीवर कनेक्शन होने के पश्चात् नाली में गन्दे पानी के बहने की सम्भावना नहीं होगी।	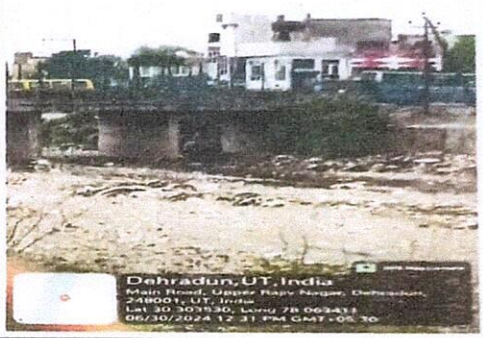
8	चन्दर रोड पुल से चुन्ना भट्टा पुल के मध्य नालों/नालियों की संख्या			
	नदी के बायीं ओर			
8.1	अधोईवाला नदी तट की ओर का क्षेत्र	01 नग	उक्त नाली घरो के नीचे से हो कर गुज़रती है, जिस कारण आई0 एण्ड डी0 निर्माण हेतु पर्याप्त स्थान उपलब्ध नहीं हो पाया एवं आई0 एण्ड डी0 का निर्माण नहीं किया जा सका। नाली का समस्त कैचमेन्ट क्षेत्र में वर्तमान में सीवर लाईन चालू हो गयी है। सीवर कनैक्शन दिये जाने के पश्चात् नाली में गन्दा पानी नहीं बहेगा।	
8.2	अधोईवाला नदी तट की ओर का क्षेत्र	01 नग	आई0 एण्ड डी0 निर्माण हेतु पर्याप्त स्थान उपलब्ध नहीं हो पाया एवं आई0 एण्ड डी0 का निर्माण नहीं किया जा सका। नाली का समस्त कैचमेन्ट क्षेत्र में वर्तमान में सीवर लाईन चालू हो गयी है। सीवर कनैक्शन दिये जाने के पश्चात् नाली में गन्दा पानी नहीं बहेगा।	

क्र0 सं0	नाले/नालियों का विवरण	संख्या	टिप्पणी	फोटोग्राफ
1	2	3	4	5
8.3	अधोईवाला नदी तट की ओर का क्षेत्र	01 नग	आई0 एण्ड डी0 के निर्माण हेतु पर्याप्त स्थान उपलब्ध न होने के कारण आई0 एण्ड डी0 का निर्माण नहीं हो सका। वर्तमान में कैचमेन्ट क्षेत्र सीवर लाईन से आच्छादित हो चुका है एवं चालू स्थिति में है। अतः समस्त सीवर संयोजन आवंटित करने के पश्चात नाली में गंदा पानी नही बहेगा।	
	नदी के दायीं ओर			
8.4	राजेश रावत कॉलोनी के नदी तट का क्षेत्र।	01 नग	नाली घरो के मध्य से होकर गुजरती है। आई0 एण्ड डी0 निर्माण हेतु पर्याप्त स्थान उपलब्ध न होने के कारण आई0 एण्ड डी0 का निर्माण नहीं हो सका। नाली का कैचमेन्ट क्षेत्र वर्तमान में सीवर से आच्छादित हो चुका है एवं चालू स्थिति में है। सीवर कनैक्शन होने के पश्चात् नाली में गन्दा पानी बहने की सम्भावना नहीं है।	
8.5	राजेश रावत कॉलोनी के नदी तट का क्षेत्र।	01 नग	नाली घरो के मध्य से होकर गुज़रती है एवं सामने सडक से आई0 एण्ड डी0 निर्माण हेतु पर्याप्त स्थान उपलब्ध न होने के कारण आई0 एण्ड डी0 का निर्माण नहीं किया जा सका। साथ ही कैचमेन्ट क्षेत्र सीवर से आच्छादित हो चुका है एवं चालू स्थिति में है। सीवर कनैक्शन होने के पश्चात् नाली में गन्दा पानी नहीं बहेगा।	
8.6	राजेश रावत कॉलोनी के नदी तट का क्षेत्र।	01 नग	नाली घरों के नीचे से गुज़रती है एवं सड़क की चौड़ाई अत्यधिक कम है, जिस कारण आई0 एण्ड डी0 हेतु पर्याप्त जगह उपलब्ध नहीं हो पायी, जिससे आई0 एण्ड डी0 का निर्माण नहीं हुआ। नाली में पानी न्यून एवं निरन्तर नहीं है एवं कैचमेन्ट क्षेत्र सीवर से आच्छादित हो गया था। सीवर लाईन वर्तमान में चालू है एवं सीवर कनैक्शन दिये जाने के पश्चात् नाली में गन्दा पानी बहने की सम्भावना नहीं रहेगी।	
8.7	राजेश रावत कॉलोनी के नदी तट का क्षेत्र।	01 नग	नाली में श्राव न्यून व निरन्तर नहीं है एवं मात्र 6–7 घरो का ही पानी बहता है। आई0 एण्ड डी0 के निर्माण हेतु पर्याप्त स्थान उपलब्ध न होने के कारण आई0 एण्ड डी0 का निर्माण नहीं हो सका। कैचमेन्ट क्षेत्र सीवर लाईन से आच्छादित है एवं सीवर संयोजन आवंटित करने के पश्चात् नाली में गंदा पानी नही बहेगा।	

क्र0 सं0	नाले/नालियों का विवरण	संख्या	टिप्पणी	फोटोग्राफ
1	2	3	4	5
8.8	राजेश रावत कॉलोनी के नदी तट का क्षेत्र।	01 नग	नाली का गन्दा पानी पूर्व में सड़क के दूसरी ओर बहने वाली नाली में जाता था, जिस पर आई0 एण्ड डी0 निर्मित भी की गयी है। लोक निर्माण विभाग द्वारा नाली के पानी को सड़क के दूसरी ओर नयी नाली बनाते हुये डायवर्ट कर दिया गया है एवं नाली का आउटफॉल विद्युत ट्रांसफार्मर के नीचे है, जिस कारण आई0 एण्ड डी0 का निर्माण नही किया जा सका। वर्तमान में नाली का कैचमेन्ट क्षेत्र सीवर से आच्छादित हो गया है एवं सीवर चालू स्थिति में है। सीवर कनैक्शन का कार्य होने पर नाली में गन्दे पानी बहने की सम्भावना नहीं रहेगी।	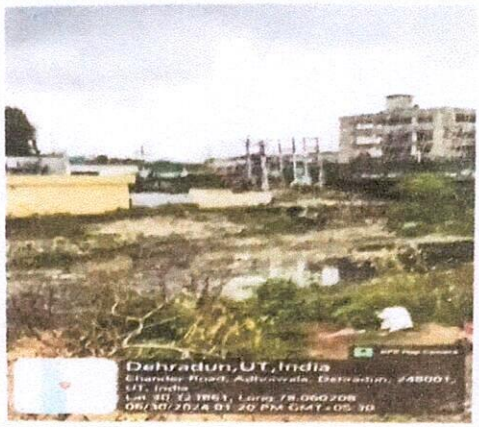
9	चूना भट्टा पुल से शनि मन्दिर पुल के मध्य नालों/नालियों की संख्या			
	नदी के दायीं ओर			
9.1	शनि मन्दिर पुल के निकट (डाउनस्ट्रीम)	01 नग	ड्रेन नं0 131 में 12 घरों का पानी आता है। आई0 एण्ड डी0 हेतु जगह उपलब्ध न होने के कारण निर्माण नहीं किया जा सका। नाली में श्राव न्यून है, क्षेत्र सीवर से आच्छादित हो गया है एवं कनैक्शन होने के पश्चात् गन्दा पानी नही बहेगा।	
9.2		01 नग	ड्रेन नं0 134 में 02 घरो का पानी आता है। क्षेत्र में सीवर लाईन बिछायी गयी है। सीवर संयोजन लिये जाने के उपरान्त ड्रेन सूख जायेगी, जिस हेतु सम्बन्धित को निर्देशित भी किया गया है।	
9.3		01 नग	सीवर कनेक्शन हो जाने के कारण ड्रेन नं0 135 सूख गयी है, जिस कारण आई0 एण्ड डी0 निर्माण की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है।	
9.4		01 नग	ड्रेन नं0 138 में श्री मलकीत सिंह व श्री सुरेन्द्र सिंह जी के घर के मध्य से नाली आ रही है। आई0 एण्ड डी0 हेतु पर्याप्त स्थान उपलब्ध न होने के कारण आई0 एण्ड डी0 का निर्माण नहीं किया जा सका। नाली के कैचमेन्ट क्षेत्र सीवर से आच्छादित है। सीवर कनेक्शन दिये जाने के उपरान्त नाली सूख जायेगी।	
10	शनि मन्दिर पुल से शमशान घाट पुल के मध्य नालों/नालियों की संख्या			

क्र0 सं0	नाले / नालियों का विवरण	संख्या	टिप्पणी	फोटोग्राफ
1	2	3	4	5
	नदी के दायीं ओर			
10.1	शनि मन्दिर पुल के निकट (अपस्ट्रिम)	01 नग	ड्रेन नं0 114 में 12 घरों के बाथरूम एवं किचन का पानी आता है। शिवचरण फायर ऑपरेटर विदेश सचार, कानपुर के घर के निकट ड्रेन है। ड्रेन से 20.00 मी0 पाईप यदि दूसरी आई0 एण्ड डी0 में जोडा जाये तो ड्रेन का पानी नदी में जाने से रोका जा सकता है।	
10.2		01नग	ड्रेन नं0 126 में 08 घरों के बाथरूम एवं किचन का पानी आता है। समस्त क्षेत्र सीवर लाईन से आच्छादित है। सीवर कनैक्शन दिये जाने के पश्चात् ड्रेन में आने वाले गन्दे पानी को कम किया जा सकता है।	
10.3		01 नग	आई0 एण्ड डी0 निर्माण हेतु पर्याप्त स्थान उपलब्ध न होने के कारण नाले को टेप नहीं किया जा सका। नाली के कैचमेन्ट का समस्त क्षेत्र सीवर लाईन से आच्छादित है एवं सीवर कनैक्शन दिये जाने के उपरान्त गन्दा पानी नहीं बहेगा।	
11	शमशान घाट पुल से ऋषि नगर पुल के मध्य नालों / नालियों की संख्या			
	नदी के बायीं ओर			
11.1	शमशान घाट पुल के निकट (अपस्ट्रिम)	01 नग	नाले का कैचमेन्ट क्षेत्र सीवर लाईन से आच्छादित है एवं नाले में अधिकतर गोबर की मात्रा बहती है न की सीवर की एवं आई0 एण्ड डी0 के निर्माण हेतु पर्याप्त स्थान उपलब्ध न होने के कारण नाले को टेप नहीं किया जा सका एवं यदि नाले को टेप किया जाता है तो नाले में बह रहा गोबर मुख्य सीवर लाईन को चोक कर देगा। सर्वप्रथम नाले में बह रहे गोबर को रोकना होगा, जिससे नाले का लगभग 90 प्रतिशत पानी स्वतः ही सूख जायेगा एवं अवशेष पानी सीवर संयोजन किये जाने के उपरान्त रोका जा सकता है।	
	नदी के दायीं ओर			

84

क्र0 सं0	नाले/नालियों का विवरण	संख्या	टिप्पणी	फोटोग्राफ
1	2	3	4	5
11.2	पार्षद नीतू बाल्मिकी के घर के निकट (डाउनस्ट्रीम)	01 नग	नाली का समस्त कैचमेन्ट क्षेत्र सीवर से आच्छादित है। सीवर संयोजन होने के उपरान्त नाली में गन्दा पानी नहीं बहेगा एवं वैकल्पिक व्यवस्था के अन्तर्गत इस नाली को 15.00 मी0 पाईप बिछाकर निकट की आई0 एण्ड डी0 में भी जोड़ा जा सकता है।	
12	ऋषिनगर पुल से मयूर विहार पुल के मध्य नालों/नालियों की संख्या (योगेश पार्षद के घर से डाउनस्ट्रिम में)	01 नग	ड्रेन में 04 घरो का पानी आता है। समस्त क्षेत्र सीवर लाईन से आच्छादित है। सीवर कनैक्शन दिये जाने के उपरान्त गन्दा पानी नही बहेगा एवं नाली सूख जायेगी।	
13	मयूर विहार पुल से कण्डोली पुल के मध्य नालों/नालियों की संख्या (बायीं ओर)	01 नग	कण्डोली पुल के दोनो तरफ ड्रेन है, जिसमें से एक सूखी है। आंशिक क्षेत्र में सीवर लाईन जोन–सी प्राक्कलन के अन्तर्गत बिछायी जानी प्रस्तावित है। नाली का आउटलेट कण्डोली–रिस्पना पुल की अबेडमेन्ट के नीचे होने के कारण आई0 एण्ड डी0 हेतु पर्याप्त स्थान उपलब्ध नहीं है, जिस कारण आई0 एण्ड डी0 का निर्माण नहीं किया जा सका।	

टिप्पणी :– क्रमांक 4.2 से क्रमांक 13 तक अंकित समस्त नाले/नालियों के पानी को दीपनगर आई0 एण्ड डी0 में टेप किया गया है एवं उक्त नालों/नालियों का लगभग समस्त कैचमेन्ट एरिया वर्तमान में सीवर लाईन से आच्छादित हो गया है।

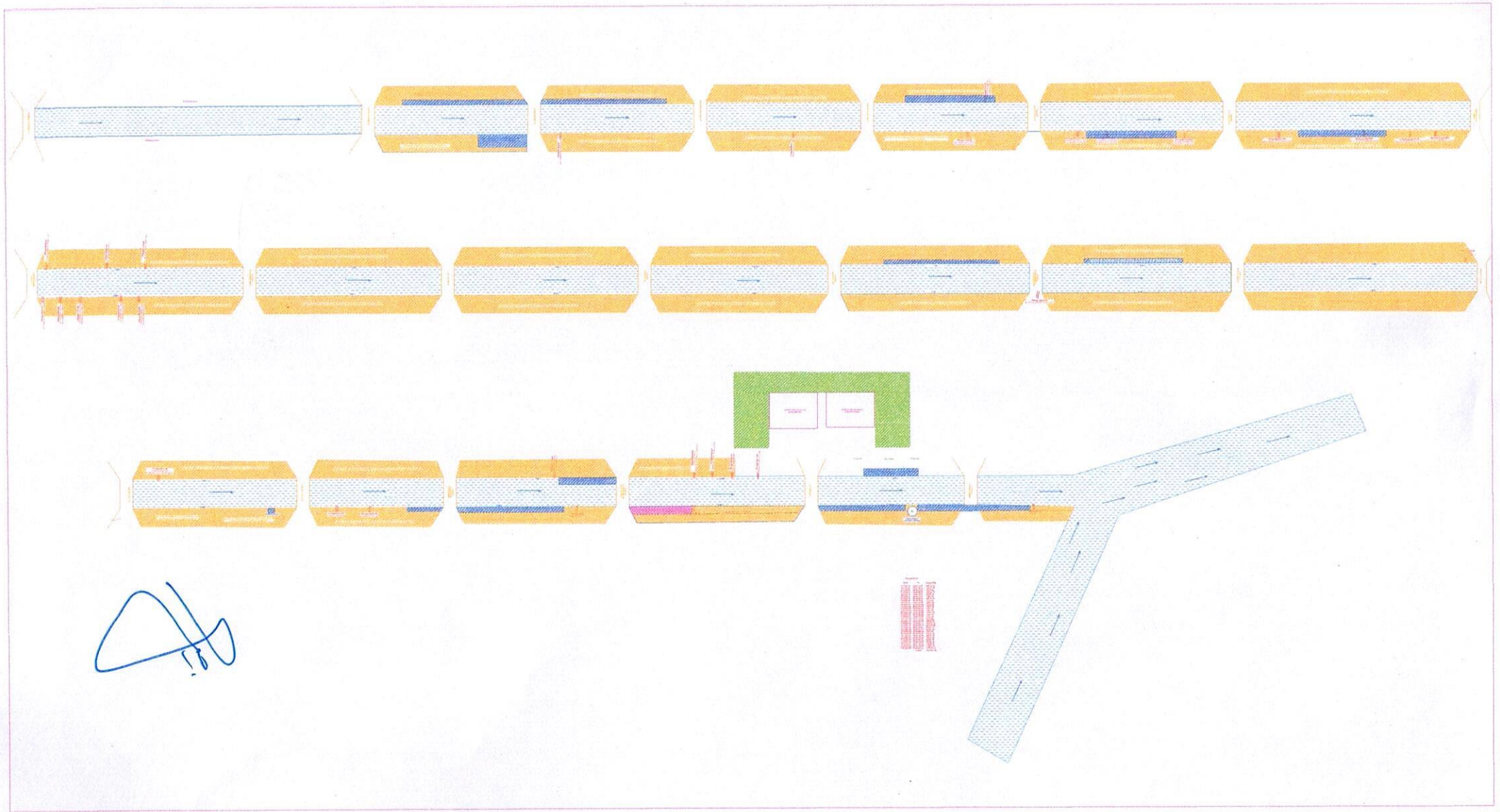

89

Annexure No 5

86

कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता (नगर) उत्तराखण्ड जल संस्थान
95–राजपुर रोड़, देहरादून–248001
Phone / Fax :- 0135-2745919, e-mail:-seurban_ujs@rediffmail.com

पत्रांक :– 736 / अधी. अभि. न. / नमामि गंगे / रिस्पना नदी / 2024-25 दिनांक :–19.07.2024

सेवा में,

नगर आयुक्त,
नगर निगम, देहरादून।

विषय– मा.रा. हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित मूल आवेदन संख्या– 417 / 2022 निरंजन बागछी बनाम उत्तराखण्ड राज्य के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक इस कार्यालय के पूर्व पत्रांक 696 दिनांक 12.07.2024 से मा.रा. हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित मूल आवेदन संख्या– 417 / 2022 निरंजन बागछी बनाम उत्तराखण्ड राज्य के सम्बन्ध में विभागीय आख्या संलग्न कर प्रेषित की गई थी के क्रम में संशोधित आख्या पुनः संलग्न कर सादर प्रेषित की जा रही है।
संलग्नः–यथोपरि।

भवदीय,

(राजीव रानी)
अधीक्षण अभियन्ता

संख्या एवं दिनांक तदैवः
प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. मुख्य महाप्रबन्धक, उत्तराखण्ड जल संस्थान, देहरादून को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. महाप्रबन्धक (मुख्यालय), उत्तराखण्ड जल संस्थान, देहरादून को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
3. जिलाधिकारी महोदया, देहरादून।
4. श्री अक्षय कुमार, पर्यावरण विशेषज्ञ, उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (एस0पी0एम0जी) देहरादून।

अधीक्षण अभियन्ता

87

आख्या

मा0 रा0 हरित अधिकरण नई दिल्ली में योजित मूल आवेदन संख्या– 417/2022 निरंजन बागछी बनाम उत्तराखण्ड राज्य के सम्बन्ध में।

उपरोक्त विषयक मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली के प्राप्त निर्देशों के क्रम में अपर नगर आयुक्त, नगर निगम, देहरादून द्वारा दिनांक– 18.05.2024 को आहूत बैठक के कार्यावृत्त में कार्यवाही किये जाने हेतु विभागवार निर्देश दिये गये थे। उपरोक्तानुसार बैठक में उत्तराखण्ड जल संस्थान, देहरादून को निम्नानुसार कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया है:--

अवगत कराना है कि उत्तराखण्ड राज्य में सीवर योजनाओं के निर्माण एवं रखरखाव हेतु उत्तराखण्ड जल निगम एवं उत्तराखण्ड जल संस्थान दो विभाग हैं। उत्तराखण्ड जल निगम का कार्य पेयजल एवं सीवर योजनाओं का निर्माण करना एवं कार्य पूर्ण होने के उपरान्त योजनाओं को उत्तराखण्ड जल संस्थान को हस्तगत कर दिया जाता है, जिसके उपरान्त उत्तराखण्ड जल संस्थान द्वारा उक्त हस्तगत योजनाओं का रखरखाव एवं संचालन किया जाता है। एसटीपी (क्षमता– 20 एमएलडी) मोथरोवाला, देहरादून का हस्तानान्तरण उत्तराखण्ड पेयजल निगम द्वारा निमार्ण कर उत्ताराखण्ड जल संस्थान को वित्तीय वर्ष 2021–22 में हस्तगत किया गया था।

रिस्पना नदी के किनारे स्थापित बस्तीयो में जल निगम द्वारा सीवर पाईप लाईन बिछायी है, और जिसके पश्चात निगम द्वारा ही उस पाईप लाईन से हाउस होल्ड को जोडना है। जिसके क्रम में ही महाप्रबन्धक, निर्माण शाखा, गंगा, उत्तराखण्ड पेयजल निगम, हरिद्वार के कार्यालय पत्रांक– 2153 दिनांक– 01.07.2021 के द्वारा अवगत कराया है कि प्राक्कलन में 2397 ओपन हाउस होल्ड आउटलेट को जोड़े जाने का प्राविधान है और जिसके सापेक्ष 1292 सीवर संयोजन हाउस होल्डों को संयोजित कर दिया गया है।(संलग्न–01) पत्र में यह भी उल्लेख है कि शेष 1105 सीवर संयोजन जल निगम द्वारा जोड़े जाने हैं।

वर्तमान में रिस्पना नदी के किनारों पर जनसंख्या घनत्व बढ़ गया है, जिस कारण परिवारों की संख्या में वृद्धि हो गयी है। वर्तमान में जल संस्थान द्वारा मा0 एन0जी0टी0 के आदेशों के क्रम में रिस्पना नदी के किनारे निवास कर रहे परिवारों का स्थलीय निरीक्षण किया। उक्त स्थल पर विभागीय सर्वेक्षण का कार्य प्रगति पर है। सर्वेक्षण के अन्तर्गत निम्नांकित सूचनाएं एकत्रित की गयी हैं:–

क्र0सं0	विवरण	कुल
1	नदी के किनारे स्थित कुल परिवारो की संख्या।	1284
2	नदी के किनारे स्थित कुल परिवारों की संख्या, जिनके स्वयं के सेप्टिक टैंक निर्मित हैं।	676
3	नदी के किनारे स्थित कुल परिवारों की संख्या, जिनके सीवर संयोजन हैं।	255
4	नदी के किनारे स्थित उक्त परिवारों को सीवर संयोजन दिये जाने की प्रक्रिया गतिमान है।	353
5	नदी के किनारे स्थित कुल परिवारों की संख्या, जिनको सीवर संयोजन दिया जाना सम्भव है।	352

6	नदी के किनारे स्थित कुल परिवारों की संख्या, जिनको सीवर संयोजन दिया जाना सम्भव नहीं है।	1

विभाग द्वारा रिस्पना नदी के किनारे व आस-पास निवासरत परिवारों को सीवर संयोजन से जुड़वाने हेतु जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है। रिस्पना के आस-पास कुछ परिवारों द्वारा उक्त कार्यवाही के उपरान्त भी सीवर संयोजन लिये जाने हेतु सकारात्मक प्रतिक्रिया प्रदर्शित न होने के कारण, सम्बन्धित परिवारों की आर्थिक स्थिति के दृष्टिगत निजि संसाधनों से सीवर संयोजन व विभागीय शुल्क का भुगतान उपरोक्त परिवारों द्वारा किया जाना सम्भव प्रतीत नहीं होता है, इसीलिये एक प्राक्कलन शासन को प्रेषित है।

अधिशासी अभियन्ता, उत्तर / दक्षिण / रायपुर / पित्थूवाला / अधीक्षण अभियन्ता (नगर)

89

dk;kZy; egkizcU/kd
fuekZ.k e.My ¼xaxk½
mRrjk[k.M isty fuxe]
txthriqj] iksLV&dU[ky
gfj}kj&249408
Email- [illegible]@gmail.com

Office of General Manager
Construction Circle (Ganga)
Uttarakhand Peyjal Nigam,
Jagjeetpur, Post-Kankhal,
Haridwar-249408

Letter No. 2153 / Karya-20/ 14 date 01-07-2024

सेवा में,

अधीक्षण अभियन्ता (नगर),
उत्तराखण्ड जल संस्थान,
95–राजपुर रोड,
देहरादून।

विषय:– आई0 एण्ड डी0 रिस्पना के सम्बन्ध में दिनांक 26.06.2024 को आहूत बैठक के सम्बन्ध में।

महोदय,

1. उपरोक्त विषयक पेयजल निगम एवं जल संस्थान के अभियन्ताओं के मध्य दिनांक 26.06.2024 को हुई बैठक का कार्यवृत्त आपके कार्यालय पत्रांक 647/अधी0 अभि0 न0 / बैठक–रिस्पना नदी/2024–25 दिनांक 01.07.2024 के द्वारा निर्गत किया गया है, का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।
2. उपरोक्त निर्गत कार्यवृत्त के सम्बन्ध में निम्नानुसार अवगत कराना है कि :–
   i. बिन्दु संख्या–1
   पेयजल निगम के द्वारा बैठक में अवगत कराया गया है कि पेयजल निगम द्वारा सम्पादित करायी गयी योजना "आई0 एण्ड डी0 रिस्पना" के समस्त कार्य पूर्ण हो गये हैं। योजना के अन्तर्गत बिछायी गयी सीवर लाइन से सम्बन्धित समस्त सीवर संयोजन कार्य भी पूर्ण कर लिये गये हैं। योजना के अन्तर्गत कुल 1292 सीवर संयोजन कार्यों के द्वारा ही बिछायी गयी सीवर लाईन से सम्बन्धित समस्त हाउस होल्ड संयोजित हो गये हैं, यद्यपि प्राक्कलन में 2397 ओपन हाऊस होल्ड आउटलेट को जोड़े जाने का प्राविधान है, जोकि सम्भवतः अनुमान आधारित है।
   ii. बिन्दु संख्या–2
   पेयजल निगम के द्वारा बैठक में अवगत कराया गया है कि पेयजल निगम द्वारा सम्पादित करायी गयी योजना "आई0 एण्ड डी0 रिस्पना" के अन्तर्गत समस्त अपेक्षित सीवर संयोजन के कार्य अनुबन्धानुसार पूर्ण करा लिये गये हैं। उक्त योजना के अन्तर्गत पेयजल निगम के द्वारा योजना में बिछायी गयी सीवर लाईन के सापेक्ष ही सीवर संयोजन के कार्य कराये जाने प्राविधानित थे तथा तदानुसार ही सीवर संयोजन के कार्य कराये गये हैं। प्रश्नगत योजना में बिछायी गयी सीवर लाईन से सम्बन्धित कोई भी सीवर संयोजन, जोकि तकनीकी/ व्यवहारिक रूप से सम्भव है, अवशेष नहीं है। बैठक के दौरान पेयजल निगम के स्तर से जल संस्थान को सीवर संयोजन हेतु कोई भी धनराशि उपलब्ध कराने के लिए सहमति नहीं दी गयी है।
   iii. बिन्दु संख्या–3
   पेयजल निगम के द्वारा बैठक में अवगत कराया गया है कि पेयजल निगम द्वारा सम्पादित करायी गयी योजना "आई0 एण्ड डी0 रिस्पना" के समस्त कार्य मानकों के अनुरूप ही सम्पादित कराये गये हैं। जल संस्थान के अभियन्ताओं के द्वारा बैठक में आई0 एण्ड डी0 कार्यों के कारण एस0टी0पी0 में प्राप्त हो रहे सीवेज की गुणवत्ता मानकों से निम्नतर आने की सम्भावना व्यक्त की गयी थी तथा आपके पत्र में भी इसी प्रकार उल्लेखित है, जिसके सम्बन्ध में महाप्रबन्धक पेयजल निगम के द्वारा अवगत कराया गया था कि एस0टी0पी0 पर यदि प्राप्त होने वाले सीवेज की गुणवत्ता एस0टी0पी0 के इनलेट पर सीवेज की निर्धारित गुणवत्ता से निम्नतर है तो इस स्थिति में एस0टी0पी0 के उच्चीकरण के कार्य प्रस्तावित किये जा सकते हैं। यद्यपि महाप्रबन्धक पेयजल निगम के द्वारा बैठक के दौरान ही उत्तराखण्ड प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड के द्वारा निर्गत माह मई–2024 की उत्तराखण्ड राज्य के समस्त एस0टी0पी0 के गुणवत्ता अनुश्रवण की रिपोर्ट आपको प्रेषित की गयी जिसके अनुसार क्रमांक 41, 42 एवं 43 पर

अंकित 20 एम0एल0डी0 एस0टी0पी0 मथुरावाला–I, 20 एम0एल0डी0 एस0टी0पी0 मथुरावाला–II एवं 68 एम0एल0डी0 एस0टी0पी0 कारगी देहरादून के इनलेट पर सीवेज की BOD की गुणवत्ता इनलेट पर निर्धारित मानकों 250 के सापेक्ष क्रमशः 175, 170 व 190 mg/l पायी गयी, जबकि इनलेट पर सीवेज की TSS की गुणवत्ता इनलेट पर निर्धारित मानकों 400 के सापेक्ष क्रमशः 180, 176 व 195 mg/l पायी गयी जोकि मानकों के सापेक्ष अत्यन्त कम है। इस प्रकार यह उल्लेखित किया जाना कि जाई0 एण्ड डी0 के कार्यों के कारण एस0टी0पी0 पर निम्न गुणवत्ता का सीवेज प्राप्त हो रहा है उचित नहीं है।

यद्यपि बैठक के दौरान विचार–विमर्श हुआ था कि पेयजल निगम/ADB के द्वारा अन्य योजनाओं में इस क्षेत्र में बिछायी गयी सीवर लाईन से सम्बन्धित सीवर संयोजन कार्य जल संस्थान के स्तर से सम्पादित कराये जाने की आवश्यकता है, जिसे आपके द्वारा निर्गत उक्त कार्यवृत्त में अंकित किया जाना छूट गया है। आपको देहरादून शाखा, उत्तराखण्ड पेयजल निगम, देहरादून के पत्रांक 2388/300/16 दिनांक 21.06.2024 द्वारा योजना हस्तान्तरण हेतु वांछित प्रपत्र एवं सूचना भी प्रेषित की जा चुकी है।

कृपया अनुरोध है कि संयुक्त समीक्षा बैठकों का कार्यवृत्त दोनों पक्षों के हस्ताक्षर उपरान्त ही निर्गत कराने का कष्ट करेंगे।

उक्तानुसार सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

भवदीय

(आर0के0 जैन)
महाप्रबन्धक

पृ0सं0 एवं दिनांक उपरोक्तानुसार
प्रतिलिपि :–

1. परियोजना निदेशक, एस0एम0सी0जी0, देहरादून को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. नगर आयुक्त, नगर निगम, देहरादून को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
3. मुख्य अभियन्ता (मु0), प्रधान कार्यालय, उत्तराखण्ड पेयजल निगम, देहरादून।
4. श्री अक्षय कुमार, पर्यावरण विशेषज्ञ, एस0एम0सी0जी0, देहरादून ।
5. अधिशासी अभियन्ता, देहरादून शाखा, उत्तराखण्ड पेयजल निगम, देहरादून।

महाप्रबन्धक

491

Annexure No. 6 91

क्षेत्रीय कार्यालय
उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
ई–115, नेहरू कॉलोनी, देहरादून–248001
टेलीफोन नं.–0135–3593200

पत्रांक सं0–यूकेपीसीबी/आरओडी/NGT-54/2024–25/1128 – 683 दिनांकः 24/06/24

सेवा में,

नगर आयुक्त
नगर निगम, देहरादून।

विषय– मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली में योजित मूल आवेदन संख्या–417/2022 निरंजन बागछी बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश दिनांक 25.07.2023 व 13.05.2024 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक आपके पत्रांक संख्या–1968/भूमि/2024–25 दिनांक 21.06.2024 के अनुकम में मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित मूल आवेदन संख्या–417/2022 निरंजन बागछी बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश दिनांक 25.07.2023 व दिनांक 13.05.2024 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में निरीक्षण के दौरान River Rispana, Near Deep Nagar, Dehradun, River Rishpana Near Chunna Bhatta, Dehradun एवं 20 MLD STP, Mothrowala, Dehradun से लिये गये जल नमूनो की प्रयोगशाला से प्राप्त विश्लेषण आख्या संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।

संलग्नक–यथोपरि।

भवदीय

(डा0 आर0के0 चतुर्वेदी)
क्षेत्रीय अधिकारी (प्र0)

नगर आयुक्त

614
29/6/24

CENTRAL LABORATORY
UTTARAKHAND POLLUTION CONTROL BOARD
46 – B IT Park, Sahastradhara Road, Dehradun
Email Id – clukpcb@gmail.com

Test Report

Test report no:	:	CL/05/HO/SW/001
Code allotted:	:	UKPCB/CL/05/24/ROD/SW – 01
Name & address of industry:	:	M/s River Rispana near Deep Nagar, Dehradun
Sampling point:	:	Surface Water
Type of sample:	:	Grab
Sample collected by:	:	Mr. Rakesh Kandari (Asst. Environment Engineer)
Quantity & Packing:	:	2 ltr
(HDPE/LDPE/P/G/Any Other)		HDPE Jerrican
Date of sample collection:	:	21.05.2024
Date of sample receipt in the laboratory	:	21.05.2024
Duration of analysis:	:	21.05.2024 –31.05.2024
Date of issue of report:	:	10.06.2024

S.No.	Parameters	Results	Test Method	Unit
1.	pH (@25°C)	6.61	APHA 4500 H^+ B: Electrometric Method	-
2.	Total Suspended Solids	34.0	APHA 2540 C: Total Suspended Solids Dried at 103-105°C	mg/l
3.	Total Dissolved Solids	733.0	APHA 2540 D: Total Dissolved Solids Dried at 180°C	mg/l
4.	Dissolved Oxygen	Nil	APHA 4500-O C Azide Modification	mg/l
5.	Biochemical Oxygen Demand	44.0	IS 3025 (Part 44): 2023, 3 days 27°C	mg/l
6.	Chemical Oxygen Demand	110.0	IS 3025 (Part 58): 2023, Open Reflux Method	mg/l
7.	Hardness	458.0	APHA 2340 C EDTA Titrimetric Method	mg/l
8.	Calcium	310.0	APHA 3500-Ca B EDTA Titrimetric Method	mg/l
9.	Magnesium	148.0	Calculation Method	mg/l
10.	Alkalinity	425.0	APHA 2320 B Titration Method	mg/l
11.	Chloride	48.0	APHA4500 Cl^- B Argentometric Method	mg/l

Analysed by:	Checked by:	Counter sign: 11/06/2024
Pramod Bhandari	**Pradeep Chauhan**	**Amit Pokhriyal**

Note:
1. The results in the Test Report relate only to the items tested.
2. The Test Report pertains to the sample as received in the lab

Generated from eOffice by Pradeep Chauhan, LAB ASSISTANT-PCB(PC), LAB ASSISTANT, DEPT-PCB on 11/06/2024 03:45 pm

CENTRAL LABORATORY
UTTARAKHAND POLLUTION CONTROL BOARD
46 – B IT Park, Sahastradhara Road, Dehradun
Email id – clukpcb@gmail.com

Test Report

Test report no:	:	CL/05/HO/SW/002
Code allotted:	:	UKPCB/CL/05/24/ROD/SW – 02
Name & address of industry:	:	M/s River Rispana near Chunna Bhatta, Raipur Road, Dehradun
Sampling point:	:	Surface Water
Type of sample:	:	Grab
Sample collected by:	:	Mr. Rakesh Kandari (Asst. Environment Engineer)
Quantity & Packing:	:	2 ltr
(HDPE/LDPE/P/G/Any Other)		HDPE Jerrican
Date of sample collection:	:	21.05.2024
Date of sample receipt in the laboratory	:	21.05.2024
Duration of analysis:	:	21.05.2024 –31.05.2024
Date of issue of report:	:	10.06.2024

S.No.	Parameters	Results	Test Method	Unit
1.	pH.(@25°C)	6.75	APHA 4500 H^+ B: Electrometric Method	-
2.	Total Suspended Solids	45.0	APHA 2540 C: Total Suspended Solids Dried at 103-105°C	mg/l
3.	Total Dissolved Solids	852.0	APHA 2540 D: Total Dissolved Solids Dried at 180°C	mg/l
4.	Dissolved Oxygen	Nil	APHA 4500-O C Azide Modification	mg/l
5.	Biochemical Oxygen Demand	80.0	IS 3025 (Part 44): 2023, 3 days 27°C	mg/l
6.	Chemical Oxygen Demand	140.0	IS 3025 (Part 58): 2023, Open Reflux Method	mg/l
7.	Hardness	515.0	APHA 2340 C EDTA Titrimetric Method	mg/l
8.	Calcium	380.0	APHA 3500-Ca B EDTA Titrimetric Method	mg/l
9.	Magnesium	135.0	Calculation Method	mg/l
10.	Alkalinity	610.0	APHA 2320 B Titration Method	mg/l
11.	Chloride	68.0	APHA4500 Cl^- B Argentometric Method	mg/l

Analysed by:
Pramod Bhandari

Checked by:
Pradeep Chauhan

Counter sign:
Amit Pokhriyal
11/06/2024

Note:
1. The results in the Test Report relate only to the items tested.

94

CENTRAL LABORATORY

UTTARAKHAND POLLUTION CONTROL BOARD

46 – B IT Park, Sahastradhara Road, Dehradun
Email id – clukpcb@gmail.com

Test Report

Test report no:	:	CL/05/HO/IW/019
Code allotted:	:	UKPCB/CL/05/24/ROD/IW – 19
Name & address of industry:	:	M/s 20 MLD STP, Mothrowala, Dehradun
Sampling point:	:	STP Outlet
Type of sample:	:	Grab
Sample collected by:	:	Mr. Rakesh Kandari (Asst. Environment Engineer) Mr. Dhirendra Singh (Monitoring Assistant)
Quantity & Packing: (HDPE/LDPE/P/G/Any Other)	:	2 ltr HDPE Jerrican
Date of sample collection:	:	22.05.2024
Date of sample receipt in the laboratory	:	22.05.2024
Duration of analysis:	:	22.05.2024 –31.05.2024
Date of issue of report:	:	10.06.2024

S.No.	Parameters	Results	Test Method	Unit
1.	pH (@25°C)	7.11	APHA 4500 H⁺ B: Electrometric Method	-
2.	Total Suspended Solids	13.0	APHA 2540 C: Total Suspended Solids Dried at 103-105°C	mg/l
3.	Total Dissolved Solids	312.0	APHA 2540 D: Total Dissolved Solids Dried at 180°C	mg/l
4.	Biochemical Oxygen Demand	18.0	IS 3025 (Part 44): 2023, 3 days 27°C	mg/l
5.	Chemical Oxygen Demand	70.0	IS 3025 (Part 58): 2023, Open Reflux Method	mg/l

Analysed by:	Checked by:	Counter sign: 11/06/2024
Pramod Bhandari	Pradeep Chauhan	Amit Pokhriyal

Note: